387

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, शिमला मण्डल शिमला-6 का लेखा परीक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.91 से 31.3.92 तक ।

भाग - 1

1. **पिछला लेखा परीक्षण प्रतिवेदन :-**

पिछले लेखा परीक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में बकाया पैरों के निपटारे की स्थिति निम्न प्रकार से है । हि0प्र0 आवास बोर्ड के प्राधिकारियों से अनुरोध है कि पिछले समस्त प्रतिवेदनों में शेष पैरों के ऊपर शीघ्र कार्यवाही करके अनुपालना रिपोर्ट इस विभाग को भेजें ।

§क§ **अवधि 4/84 से 3/85 तक के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति**

§1§	पैरा 3 तथा 4	अनिर्णीत ।
§2§	पैरा 5	निर्णीत ।
§3§	पैरा 6§1§	निर्णीत ।
§4§	पैरा 6§6§§ए§तथा §बी§	निर्णीत ।
§5§	पैरा 6§10§§ए§	अनिर्णीत ।
§6§	पैरा 6§10§§बी§	निर्णीत ।
§7§	पैरा 7	अनिर्णीत ।
§8§	पैरा 9	निर्णीत ।
§9§	पैरा 11§ए§तथा§बी§	निर्णीत ।
§10§	पैरा 14	अनिर्णीत ।

§ख§ **अवधि 4/85 से 3/86 तक के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति**

स्थिति :

§1§	पैरा 4§सी से ई§	अनिर्णीत ।
§2§	पैरा 4§एफ§§1§	अनिर्णीत ।
§3§	पैरा 8§ए§	निर्णीत ।
§4§	पैरा 10§बी§	अनिर्णीत ।
§5§	पैरा 10§सी§	निर्णीत ।
§6§	पैरा 10§एफ§तथा§जी§	निर्णीत ।

388

(7)	पैरा 11(बी)	निर्णीत ।
(8)	पैरा 12(2)	अनिर्णीत ।
(9)	पैरा 12(3)4 तथा 5)	निर्णीत ।
(10)	पैरा 14(बी)	निर्णीत ।
(11)	पैरा 15(बी)	अनिर्णीत ।
(12)	पैरा 16	अनिर्णीत ।

(ग) अवधि 4/86 से 3/87 तक के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति :-

(1)	पैरा 4(1,4,6 से 8	अनिर्णीत ।
(2)	पैरा 5(1)	निर्णीत ।
(3)	पैरा 5(2)	अनिर्णीत ।
(4)	पैरा 5(3,4 तथा 5)	निर्णीत ।
(5)	पैरा 5(6 तथा 7)	अनिर्णीत ।
(6)	पैरा 5(9)	अनिर्णीत ।
(7)	पैरा 5(10 तथा 11)	निर्णीत ।
(8)	पैरा 5(12)(बी)	निर्णीत ।
(9)	पैरा 5(13)	अनिर्णीत ।
(10)	पैरा 6,7(1)तथा(2)	निर्णीत ।
(11)	पैरा 8(2)	निर्णीत ।
(12)	पैरा 9	अनिर्णीत ।
(13)	पैरा 10	निर्णीत ।
(14)	पैरा 12(1)तथा (2)	निर्णीत ।
(15)	पैरा 12(3)	अनिर्णीत ।
(16)	पैरा 12(4)	निर्णीत ।
(17)	पैरा 12(6)	अनिर्णीत ।
(18)	पैरा 13(1)	अनिर्णीत ।
(19)	पैरा 13(2)	निर्णीत ।
(20)	पैरा 13(3) से (5)	अनिर्णीत ।
(21)	पैरा 13(6)	निर्णीत ।
(22)	पैरा 14	अनिर्णीत ।

389

(घ) अवधि 4/87 से 3/88 तक के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति :-

(1)	पैरा 4(2)	निर्णीत ।
(2)	पैरा 4(3) तथा (4)	अनिर्णीत ।
(3)	पैरा 4(5)	निर्णीत ।
(4)	पैरा 4(7)	अनिर्णीत ।
(5)	पैरा 4(9)	निर्णीत ।
(6)	पैरा 4(10) से 12(बी)	अनिर्णीत ।
(7)	पैरा 4(12)(सी)	निर्णीत ।
(8)	पैरा 4(13)	निर्णीत ।
(9)	पैरा 4(14) तथा (15)	अनिर्णीत ।
(10)	पैरा 5	अनिर्णीत ।
(11)	पैरा 6(2)से(5)	अनिर्णीत ।
(12)	पैरा 6(6)तथा(7)	निर्णीत ।
(13)	पैरा 7(2)से (6)	अनिर्णीत ।
(14)	पैरा 8(2)से (9)	अनिर्णीत ।
(15)	पैरा 9(1) से (4)	अनिर्णीत ।
(16)	पैरा 9(5)	निर्णीत ।
(17)	पैरा 9(6)	अनिर्णीत ।
(18)	पैरा 10(1) से (5)	अनिर्णीत ।
(19)	पैरा 10(6)	निर्णीत ।
(20)	पैरा 11(ए)(1)	निर्णीत ।
(21)	पैरा 11(1)(बी)(1)	अनिर्णीत ।
(22)	पैरा 11(1)(बी)(2से(8)	निर्णीत ।
(23)	पैरा 11(1)(सी)	निर्णीत ।
(24)	पैरा 11(2)तथा (3)	निर्णीत ।
(25)	पैरा 11(4)(ए)तथा (बी)	अनिर्णीत ।
(26)	पैरा 11(4)(सी)तथा (डी)	निर्णीत ।
(27)	पैरा 11(5)	निर्णीत ।

§ड.§ अवधि 4/88 से 3/89 तक के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति :-

§1§	पैरा 4§1§	
§2§	पैरा 4§2§ तथा §3§	निर्णीत ।
§3§	पैरा 4§4§§बी§	अनिर्णीत ।
§4§	पैरा 4§4§§डी§से §एफ§	अनिर्णीत ।
§5§	पैरा 4§5§ तथा §6§§ए§.	अनिर्णीत ।
§6§	पैरा 4§6§§बी§से §12§§सी§	निर्णीत ।
§7§	पैरा 5 तथा 6	अनिर्णीत ।
§8§	पैरा 7§2§	अनिर्णीत।
§9§	पैरा 7§3§§ए§	अनिर्णीत ।
§10§	पैरा 7§3§§बी§से §डी§	अनिर्णीत ।
§11§	पैरा 7§3§§ई§	निर्णीत ।
§12§	पैरा 7§4§से §5§	अनिर्णीत
§13§	पैरा 7§6§	निर्णीत ।
§14§	पैरा 7§8§	अनिर्णीत ।
§15§	पैरा 7§9§तथा§10§	अनिर्णीत ।
§16§	पैरा 8 से 10	निर्णीत ।
§17§	पैरा 11	अनिर्णीत ।
§18§	पैरा 12§1§ से §7§	निर्णीत ।
§19§	पैरा 12§9§	अनिर्णीत ।
§20§	पैरा 13	अनिर्णीत ।
		अनिर्णीत ।

§च§ अवधि 4/89 से 3/90 तक के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति :-

§1§	पैरा 3	निर्णीत ।
§2§	पैरा 4§1§	अनिर्णीत ।
§3§	पैरा 4§2§	निर्णीत ।
§4§	पैरा 4§3§ तथा§4§	अनिर्णीत ।
§5§	पैरा 4§5§§ए§	निर्णीत ।
§6§	पैरा 4§5§§बी§	अनिर्णीत ।
§7§	पैरा 4§5§§सी§	अनिर्णीत ।

(8)	पैरा 4(5)(डी)	अनिर्णीत ।
(9)	पैरा 4(6)(ए)	निर्णीत ।
(10)	पैरा 4(6)(बी)	अनिर्णीत ।
(11)	पैरा 4(8)से(15)(ए)	अनिर्णीत ।
(12)	पैरा 4(16)से 21)	अनिर्णीत ।
(13)	पैरा 5	अनिर्णीत ।
(14)	पैरा 6(1) से (4)	अनिर्णीत ।
(15)	पैरा 6(5) तथा (6)	निर्णीत ।
(16)	पैरा 6(7)	अनिर्णीत ।
(17)	पैरा 6(8)	निर्णीत ।
(18)	पैरा 7	अनिर्णीत ।
(19)	पैरा 8(1) से (2)	अनिर्णीत ।
(20)	पैरा 8(4) से (12)	अनिर्णीत ।
(21)	पैरा 8(13)	निर्णीत ।

(छ) अवधि 4/90 से 3/91 तक के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति :-

इस अवधि का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा० हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 के पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल०ए०)(एच)(2)(15)16-123/88 दिनांक 28.9.93 द्वारा जारी किया गया था तथा शिमला मण्डल कार्यालय में दिनांक 28.9.93 को ही प्राप्त ~~को ही प्राप्त~~ हुआ है । इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का सटिप्पण उत्तर अभी तक भेजा नहीं गया है । जिसे अविलम्ब प्रस्तुत किया जाए । फिर भी पैरा 5(ट), 5(अ), 5(द) (2),5(ग), 7(ख), 8, 9(ख), 10, 11(क), 13(क), 13(ग), 16(ग), 16(ड.) तथा 16(ई) को लेखा परीक्षण के दौरान निर्णीत कर दिया गया है । तथा शेष सभी पैरों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

भाग-2

2. वर्तमान लेखा परीक्षण :-

वर्तमान लेखा परीक्षण अवधि 4/91 से 3/92

392

तक, जिस के परिणाम आगामी पैरों में किए गए है, सर्वश्री कोल सिंह तथा सैन राम रंजन, अनुभाग अधिकारियों द्वारा दिनांक 25.8.93 से 12.11.93 तक शिमला में किया था। अप्रैल 1991 तथा मार्च 1992 के मासों के लेखों का चयन विस्तार पूर्वक जांच करने हेतु किया गया। सम्बन्धित पैरों में वर्णित अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किए गए।

3. लेखा परीक्षा शुल्क :-

लेखा परीक्षा शुल्क सरकारी कोष में जमा करवाने हेतु हि०प्र० आवास बोर्ड मुख्यालय में संयुक्त रूप से अलग से सूचित किया जाएगा।

4. अग्रिम :-

(क) कर्मचारी वर्ग को अग्रिम :-

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड शिमला मण्डल के अधीन विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम पर 31.3.1992 को मु0 1,66,131.05 रु0 की राशि कर्मचारियों को अग्रिम के रूप में समायोजन के लिए बकाया पड़ी थी जिस का ब्योरा कर्मचारी अनुसार आवास बोर्ड के वार्षिक लेखा में दिया गया है। अग्रिम राशियों को समय पर वसूल न करने की स्थिति को बोर्ड के प्राधिकारियों के लेखे अविलम्ब वसूल करने हेतु समुचित कदम उठाऐं। संलग्न विवरणिका में से वर्णित बहुत से अधिकारी/कर्मचारी इस मण्डल से स्थानान्तरित हो चुके है परन्तु उन्होंने अग्रिम राशियों का समायोजन कराने हेतु कोई भी प्रयास नहीं किए है।

(ख) विविध अग्रिम :-

मु0 3256056.51 रु0 की धन राशि दिनांक 31.3.92 को अग्रिम के रूप में विभिन्न विभागों संस्थाओं फर्मों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध समायोजन के लिए बकाया पड़ी थी। जिसका विवरण आवास बोर्ड के वार्षिक लेखों में दिया गया है। उपरोक्त अग्रिम की समय पर वसूल नहीं करने की स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है क्योंकि इन अग्रिम राशियों का बकाया उन द्वारा अपने पास बिना किसी प्रयोजन के रखने का औचित्य

[illegible]

-393-

कोई भी प्रतीत नहीं हो रहा है । अतः इन राशियों की समय व रहते हुए साथ-2 वसूली की जानी चाहिए थी । परन्तु इसके विपरीत वसूली करने के प्रयत्न नहीं किए गए है । यह मामला आवास बोर्ड के प्राधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है । तथा अग्रिम राशियों के समायोजन हेतु सम्बन्धित विभागों से मामला उठायें ।

5. निर्माण कार्य :-

उप मण्डल -2 शिमला-

(क) वाउचर संख्या 156 दिनांक 31.3.92 राशि मु0 56996.00 रु0

निर्माण कार्य का नाम : ग्रामीण विकास विभाग के अधिन ट्राईसम कार्यक्रम में ग्राम सेवक ट्रेनिंग सैन्टर होस्टल भवन मशोबरा का निपेक्ष निर्माण कार्य ।

इस निमार्ण कार्य के लिए मु0 56,996.00रु0 का भुगतान श्री प्रेम सिंह ठेकेदार को द्वित्तीय चलत बिल के रूप में अनुबन्ध संख्या 6 वर्ष 1991-92 के अधिन किया गया । इस निमार्ण कार्य की जांच उपरान्त निम्नलिखित आपत्तियां एवं अनियमितताऐं पाई गई । जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

(1) ग्रामीण विकास विभाग के अधीन ट्राईसम कार्यक्रम में ग्राम सेवक ट्रेनिंग सैन्टर होस्टल भवन मशोबरा, हि0प्र0 आवास बोर्ड से निपेक्ष निमार्ण कार्य (Deposit work) के रूप में निष्पादन किया जा रहा है । इस निर्माण कार्य के लिए सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्या: 3-46/91-ए0डब्लयू(ट्रै) दिनांक 12.6.1991 के अन्तर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अधिकतम राशि मु0 15,10,200/-रु0 के लिए जारी की गई । परन्तु इस निमार्ण कार्य के निष्पादन आरम्भ करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है जो कि अनियमित है । इस के अतिरिक्त यह पाया गया कि इस निमार्ण कार्य के निष्पादन हेतु दर निविदाऐं दो बार बुलाई गई परन्तु ~~तथा उसी दिन खोली गई । इसके लिए~~ इस सम्बन्ध में कोई भी औचित्य स्पष्ट नहीं किया

394

गया । पहली बार 8.4.91 के लिए निविदाएँ बुलाई गई तथा उसी दिन खोली गई । इसके लिए पांच ठेकेदारों से निविदाएँ प्राप्त हुई थी तथा पत्र संख्या: एच0बी0ई0/ए-एन0आई0टी0/78-खण्ड-III-1419 दिनांक 27.6.91 द्वारा अधीक्षक अभियन्ता, हि0प्र0 आवास बोर्ड शिमला-2 को भेजी गई तथा पांचों ठेकेदारों द्वारा उद्धृत किए गए दरों के अनुसार श्री मोहिन्द्र सिंह भल्ली ठेकेदार जिस की दरें सब से कम थी जो डी0एन0आई0टी0 की राशि 677872.00 रू0 के उपर कुल निविदा राशि 1045580.70 रू0 थी जोकि 54.24 प्रतिशत सम्पूर्ण प्रीमियम बनता था । परन्तु अधीक्षण अभियन्ता, हि0प्र0 आवास बोर्ड शिमला द्वारा उपरोक्त निविदा बिना किसी औचित्य के अस्वीकृत कर दी गई तथा ज्ञापन संख्या एच0बी0(डी0बी0) टाईसम होस्टल/मशोबरा/शिमला/90-खण्ड-1 दिनांक 26.7.91 द्वारा निविदाएँ दुबारा बुलाने को कहा गया परन्तु दूसरी बार बुलाने का कोई औचित्य नहीं दिया गया तदानुसार निविदाएँ 21.8.91 के लिए दुबारा बुलाई गई और उसी दिन खोली गई और तीन संविदाकारों से निविदाएँ प्राप्त हुई तीनों ठेकेदारों द्वारा उद्धृत दरों के अनुसार श्री प्रेम सिंह ठेकेदार के पक्ष में निविदा स्वीकृत की गई जो कि डी0एन0आई0टी0 राशि 540963/-रू0 (दूसरी बार परिवर्तित की गई राशि) पर कुल निविदा राशि 898219.25रू0 थी तथा 66.04 प्रतिशत सम्पूर्ण प्रीमियम बनता था । इस प्रकार दूसरी बार निविदाएँ बुलाने पर 11.8 प्रतिशत राशि का ठेकेदार को अधिक प्रीमियम देना पड़ा । जिसका पूर्ण ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

पहली बार निविदाएँ बुलाने पर प्रीमियम	54.24 %
दूसरी बार निविदाएँ बुलाने पर प्रीमियम	66.04 %
अन्तर	(66.04-54.24)=11.8%
अधिक वित्तीय प्रभार	=540963/-डी0एन0आई0टी0राशि का 11.8%

$$= \frac{540963 \times 11.8}{100}$$

$$= 63833.63 = 63834/-\text{रू0}$$

-395-

इस प्रकार 53,834.00 रु0 का हि0प्र0 आवास बोर्ड को नुकसान करके संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया । दूसरी बार बुलाई गई निविदाओं के लिए विभागीय औचित्य भी तैयार नहीं किया गया । जबकि तुलनात्मक तालिका में यह प्रतिशत 71.25 प्रतिशत दिखाया गया है इसके अतिरिक्त विस्तृत ~~विश्ले~~ विश्लेषण भी लेखा परीक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया ।

§2§ माप पुस्तिका संख्या 809/91 पृष्ठ 13 की प्रविष्टियों का परीक्षण करने पर पाया कि "प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सीमैन्ट कन्करीट 1:4:8§1 सीमैन्ट: 4 रेता: 8 रोड़ी 40 एम0एम0§ की मद का अतिरिक्त मद के रूप में निष्पादन किया गया । इस मद के पीलर के निष्पादन में ऊंचाई 30 सैन्टीमीटर ली गई जबकि स्वीकृत ड्राईंग तथा डिजाईन में 15 सेन्टीमीटर थी । कुल 18 पीलरों में 10 पीलरों का माप 30 सैन्टीमीटर ऊँचाई लेकर किया गया । तथा 8 कालम का माप 15 सेन्टीमीटर लेकर ही किया गया । जबकि स्वीकृत ड्राईंग तथा डिजाईन के अनुसार सभी कालम में इस मद के निष्पादन हेतु ऊँचाई 15 सैन्टीमीटर ही ली जानी थी । यदि 10 कालमों का माप तथा निष्पादन वास्तव में ही 0.30 मीटर ऊँचाई लेकर किया गया है फिर भी ड्राईंग तथा डिजाईन में बदलाव के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अनिवार्य थी जो लेखा परीक्षण में मांगने पर भी नहीं दिखाई गई । इस मद का सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा निर्धारित दर पर टैस्ट-चैक भी नहीं किया गया है । जिस के बिना यह सत्यापन नहीं हो सका । कि यह मद वास्तव में ही 30 सन्टीमीटर ऊंचाई लेकर की गई है अथवा 15 सैन्टीमीटर । इस प्रकार गलत पैमाईश से संविदाकार को मु0 1925.30 रु0 का अधिक भुगतान हुआ है जिस का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

लगातार पृष्ठ..10 प

396

विवरण	माप पुस्तिका के अनुसार माप घनमीटर में ।	वास्तविक माप घनमीटर में ।	अन्तर घनमीटर में
कालम $ए_2 ए_3 ए_4$ तथा $ए_5$	4×1.75×1.85×0.30 = 3.88	4×1.75×1.85×0.15 =1.94	1.94
कालम $ए_1$ तथा $ए_6$	2×1.20×1.30×0.30 = 0.93	2×1.20×1.30×0.15 =0.47	0.46
कालम $बी_1$ तथा $बी_3$	2×1.45×1.55×0.30 = 1.34	2×1.45×1.55×0.15 = 0.67	0.67
कालम $बी_4$	1×1.25×1.35×0.30 = 0.51	1×1.25×1.35×0.15 = 0.25	0.26
कालम $बी_2$	1×1.55×1.65×0.30 = 0.76	1×1.55×1.65×0.15 = 0.38	0.38
			3.71

अधिक भुगतान 3.71 घनमीटर,518.95 रु0
प्रतिघन मीटर की दर से = 3.71×518.95 = 1925.30 रु0

(3) माप पुस्तिका 809/91 पृष्ठ-15 की प्रविष्टियों की जांच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि नीव में कालम के फोर्म वर्क की मद के निष्पादन में एक साईड की लम्बाई 1.80 मीटर ली गई जबकि वास्तव में यह लम्बाई ड्राइंग एवं डिजाईन के अनुसार 1.60 मीटर थी । इस प्रकार इस मद की पैमाईश चार कालमों में 4×2×1.80×.20= 2.88 वर्ग मीटर ली गई जबकि यह वास्तव में 4×2×1.60×0.20=2.56 वर्ग मीटर होनी चाहिए थी । इस प्रकार 0.32 वर्ग मीटर(2.88-2.56) की अदायगी 40/-रु0 प्रतिवर्ग मीटर के दर से 13/-रु0 का अधिक भुगतान किया गया है जिस की अविलम्ब वसूली की जाए । तथा अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा में दिखाई जाए ।

-397-

(4) माप पुस्तिका संख्या: 809/91 पृष्ठ-33 की प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि "प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग" सीमेन्ट कन्करीट 1:4:8 (1-सीमेन्ट: 4 रेता: 8 बजरी 40 एम0एम0) की मद का अतिरिक्त मद के रूप में निष्पादन किया गया। परन्तु इस मद की दरें अनुबन्ध के क्लाज 12(2) के अनुसार 496.70 रू0 बनती है । जबकि अदायगी 518.95 रू0 प्रति घन मीटर के हिसाब से दी गई है । इस मद का शड्यूल रेट जो कि एस0आर0-1987 के अनुसार देय था, 361.80 रू0 प्रतिघनमीटर है जबकि यह दर 378/-रू0 प्रतिघन मीटर (जो 25 एम0एम0 बजरी के लिए है) का लगा कर के इस मद के माध्यम से 254.30रू0 की अधिक अदायगी की गई है । जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है :-

1. ठेकेदार ने 1:6:12 (1 सीमैन्ट:6 रेता:12 बजरी 40 एम0एम के लिए उद्धृत की गई दर — 400/-रू0 प्रति घनमीटर ।

2. शड्यूल रेट एस0आर0 1987 के मद 9.16(ए) के आधार पर — 291.35 रू0 प्रतिघन मीटर

3. शड्यूल रेट एस0आर0 1987 के मद सं0 9.14 के अन्तर्गत वास्तविक निष्पादित की गई मद 1:4:8 (1 सीमैन्ट:4 रेता :8 बजरी) — 361.80 रू0 प्रतिघन मीटर

4. वास्तविक दर जो दी जानी थी । $\frac{400.00 \times 361.80}{291.35}$ = 496.70 रू0 प्रति घनमीटर ।

5. ठेकेदार को भुगतान की गई राशि — 518.95 रू0 प्रति घनमीटर ।

6. अन्तर (अधिक भुगतान) = 518.95-496.70) = 22.25 रू0 ~~प्रतिघन मीटर~~ प्रति घन मीटर

7. कुल मात्रा — 11.43 घनमीटर

8. अधिक भुगतान = 11.43 × 22.25 = 254.30 रू0

इस प्रकार इस मद में मु0 254.30 रू0 का सम्बन्धित संविदाकार को अधिक अदायगी की गई है जिस की अविलम्ब वसूली करके अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा के समय दिखाई जाए ।

-398-

(ख) वाउचर संख्या 91 दिनांक 25.3.92 राशि 11310.00 रू

निर्माण कार्य का नाम : सामाजिक आवास बस्ती संजौली का निर्माण कार्य(प्रोवाईडिंग पी0 वी0आई0 फीटज ट्रेप दरवाजे 72 नम्बर एम0आई0जी0 तथा 84 नम्बर एम0आई0जी0 फ्लैटस)

मु0 11310/-रू0 की अदायगी मै0 सिंध उद्योग दली, ठेकेदार को वर्क आर्डर संख्या: 53, वर्ष 1991-92 के एवज में किया गया । इस कार्य की जांच पड़ताल करने पर निम्नलिखित आपत्तियाँ एवं अनियमिततायें लेखा परीक्षण में पाई गई जिन का ब्यौरा इस प्रकार से है :-

(1) 72 नम्बर तथा 84 नम्बर एम0आई0जी0 फ्लैट के निमार्ण के लिए उप-सचिव (आवास) हि0प्र0 सरकार द्वारा पत्र संख्या एच0एस0जी0-3-सी(12)-5/83 दिनांक 14.8.84 द्वारा मु0 75,66,000/-रू0 के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई परन्तु इस मद के अन्तर्गत प्रोवाईडिंग आफ ट्रेप डोर के निमार्ण के लिए उपरोक्त प्रशासनिक स्वीकृति में प्रावधान नहीं था । इस निमार्ण कार्य के लिए राशि 13630/-रू0 का व्यवहारिक अनुमान पत्र संख्या: एच0बी0ई0(बी0बी0) सामाजिक/संजौली-90-2939-40 दिनांक 20.8.90 द्वारा स्वीकृत किया गया परन्तु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई जो कि अनियमित है । इस निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करके आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए ।

(2) स निमार्ण कार्य के निष्पादन करवाने हेतु संविदाऐं प्राप्त हुई थी । जिन में मै0 सिंध इण्डस्ट्रीज दली की दरें समस्त प्राप्त संविदाऐं में से निम्न पाई गई, जिसमें दर रु 520/-रू0 प्रति वर्ग मीटर उद्धृत की गई थी । और मै0 सिंध इण्डस्ट्रीज दली के पक्ष में निर्माण कार्य आदेश स्वीकृत तथा जारी किया गया । स्वीकृत एवं निम्न दर के औचित्य को विभागीय औचित्य गलत बाजार भाव पर बनाया गया जो कि 553.95रू0 बनाया जिस में रंग रोगन का तत्व भी सम्मिलित किया गया

– 399 –

है जबकि मात्रा अनुसूचि में इस मद के अन्तर्गत रंग-रोगन का तत्व सम्मिलित नहीं था इस प्रकार ठेकेदार द्वारा अपनी दरें बिना रंग रोगन के तत्व के अनुसार उद्धृत की थी । इसके अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता द्वारा निमार्ण कार्य आदेश को स्वीकृत करते समय टिप्पणी की थी कि उक्त कार्य में रंग रोगन की कोई आवश्यकता नहीं है तथा दर निर्धारिण विभागीय औचित्य के अनुसार किया जाए । यद्यपि प्राक्कार द्वारा सही स्थिति न दर्शा कर यह कहा गया कि ठेकेदार की दर विभागीय औचित्य के अन्दर ही है । इस प्रकार रंग रोगन के तत्व को गलत लिया गया है क्योंकि ठेकेदार ने दर बिना रंग रोगन तत्व के अनुसार उद्धृत की थी । इस तत्व को लेने से 55.02 रु0 {47.85 रु0+ 7.17 रु0} विभागीय औचित्य अधिक बना तथा विभागीय औचित्य रंग रोगन की मद को कम करके 498.95 रु0 स्वीकृत किया जाना था । इस प्रकार ठेकेदार को विभागीय औचित्य से अधिक दर स्वीकृत की गई जो कि नियमों के प्रतिकूल है तथा 21.05 रु0 प्रति वर्ग मीटर की दर से माप पुस्तिका संख्या-811 पृष्ठ -22 के अनुसार 21.75 वर्ग मीटर के लिए कुल 457.85 रु0 अधिक भुगतान किया गया जिस की अविलम्ब वसूली की जाए तथा अनुपालना लेखा परीक्षण को दिखाई जाए ।

{ग} वाउचर संख्या: 154 दिनांक 31.3.92 राशि 17761/-रु0

निर्माण कार्य का नाम : सामाजिक आवास वस्ती संजोली का निर्माण कार्य ।{धरातल फ्लैटों में लोहे की ग्रिल उपलब्ध करवाना

ठेकेदार का नाम : श्री बलदेव सिंह ।

इस निमार्ण कार्य के लिए श्री बलदेव सिंह ठेकेदार को राशि 17761/-रु0 नं0 निर्माण कार्य आदेश संख्या 30 वर्ष 1991-92 के अन्तर्गत भुगतान किया गया । इस निर्माण कार्य के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सचिव एवं मुख्य अभियन्ता ने पत्र संख्या: एच0बी0{सी0बी0}सामाजिक संजौली/ शिमला/88-खण्ड-6 दिनांक 3.11.90 द्वारा राशि 14090/-रु0

400

के लिए स्वीकृति की है तथा इसी के आधार पर अधिशासी अभियन्ता ने राशि 14090/-रु० के लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान की है । परन्तु लेखा परीक्षण में जांच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि इस कार्य पर कुल व्यय राशि 33677.00 रु० किया गया जिस की प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या: एच०बी०ई०/812 पृष्ठ-3 तथा पृष्ठ-8 पर क्रमश: राशि 17761.00रु० तथा 15916/ रु० के लिए की गई हैं जिस का कुल जोड़ राशि 33677.00रु० है इस प्रकार इस निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत राशि से शतप्रतिशत से भी अधिक खर्च किया है । जो कि आपत्तिजनक है । इस अधिक व्यय की गई राशि का औचित्य बताया जाए तथा सक्षम प्राधिकारी से संशोधित कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करे तथा अनुवर्तन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए ।

इसी प्रकार इस राशि का भुगतान करते समय लेखों में इसका गलत वर्गीकरण किया गया है । जबकि उपरोक्त स्वीकृती में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि इस निर्माण कार्य के व्यय को बोर्ड अपनी निधि में से करेगा । परन्तु इसके विपरीत व्यय को सामाजिक आवास बस्ती संजौली में से व्यय दिखाया गया है । जो कि अनियमित ही नहीं बल्कि गलत भी है । क्योंकि जहां यह ब्रिलें उपलब्ध करवाई गई है वह बोर्ड की अपनी सम्पत्ति है इसलिए इस गलत वर्गीकरण को सही करके लेखांकन किया जाए तथा अनुवर्तन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए ।

(घ) वाउचर संख्या 69 मास 3/92 मु० 14678.00 रु० :

निर्माण कार्य: आवास बस्ती संजौली में बूथ का निर्माण ।
वर्क आर्डर संख्या: 57 वर्ष 1991-92

उक्त कार्य में भूमि की खुदाई तथा मिट्टी को उठाने का कार्य किया गया जिसमें पिक वर्क तथा जम्पर वर्क क्रमश: 50% : 50% की औसत से किया जाना था. ठेकेदार ने आईटम रेट के अन्तर्गत 31 रु० प्रतिघन मी० की दर से किया जाना स्वीकार किया था । तथा यह दर विभागीय औचित्य

401

ग्रु0 31.60 रु0 प्रति घनमीटर बनने पर प्रस्तावित किया गया है । विभागीय औचित्य के अवलोकन से पाया गया कि दर विश्लेषण में ड्रिलिंग इन्स्ट्रूमेन्ट डैटोनेटर लैम्पी फ्यूज़ तथा मजदूरी तत्वों को भी शामिल किया गया जबकि कार्य केवल पिक तथा जम्पर वर्क में होना था । अतः इन तत्वों को निकाल कर के दर अंकेक्षण में इस प्रकार से बनती है ।

10 घन मीटर के लिए विवरण

पिक वर्क

1. बेलदार	128.35
जमा 15% सी0पी0व अन्य प्रभार	19.25
योग	147.60
प्रति घन मीटर	14.76
2. जम्पर वर्क	
लेबर (बेलदार)	256.70
जमा 15% सी0पी0व अन्य प्रभार	38.50
योग	295.20
प्रतिघन मीटर	29.52

औसत = (14.76+ 29.52) / 2 = 44.28 / 2

= 22.14 रु0 प्रतिघन मी0

अतिरिक्त दूरी 100 मी0 तक

मानक दर अनुसूचि 1987 की दर (मनुअल लेबर)	3.40
जमा 83.33% मजदूरी में बढ़ोतरी	2.83
योग	6.23

अतः देय दर = 22.14+ 6.23 = 28.37= 28.00 रु0

अन्तर = 31.00 - 28.00 = 3.00 रु0

भुगतान की कुल मात्रा = 473.49 घनमीटर

अधिक भुगतान = 473.49 x3=1420.47 रु0

402

इसके अलावा यह भी देखा गया कि कार्य की अनुमानित मात्रा 439.55 घन मीटर थी जबकि कुटेशन में इसे 502 घन मीटर दर्शाया गया जिसका स्पष्टीकरण दिया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि इस कार्य के अनुमानित पत्र में मात्रा 439.55 घन मीटर बताई गई है। जबकि इस कार्य की कुटेशन मंगवाने वाले पत्र में यह मात्रा 502 घन मीटर दिखाई गई है। अत: भिन्नता को स्पष्ट किया जाए तथा इस अधिक भुगतान मु0 1420.47 रू0 की वसूली शीघ्र की जाए तथा अनुपालना आगामी लेखा परीक्षण में दिखाई जाए।

(ड.) उप मण्डल-1 शिमला

वाउचर संख्या: 98 दिनांक 26.3.92, राशि 39240/-

निर्माण कार्य का नाम : 4 नम्बर श्रेणी-1 क्वैट आवास बस्ती स्ट्राबेरी हिल्ज का निर्माण कार्य।

ठेकेदार का नाम : श्री जे0के0 नरूला।

अनुबन्ध संख्या: 7 वर्ष 1989-90

माप पुस्तिका संख्या : एच0बी0ई0/807/9।

इस निर्माण कार्य के लिए मु0 39240.00रू का भुगतान श्री जे0के0 नरूला ठेकेदार को किया गया। आवास बस्ती स्ट्राबेरी में स्वत: अर्थापोषित योजना के अधीन 8 नम्बर श्रेणी -1 फ्लैट के लिए अधिशासी अभियन्ता द्वारा ज्ञापन संख्या: एच0सी0(सी0बी0)स्ट्राबेरी/शिमला/86-खण्ड-4 दिनांक 19.4.89 विस्तृत प्राक्कलन राशि मु0 12,55,920/- के लिए तकनीकी रूप से स्वीकृत किया गया। विस्तृत जाँच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि उपरोक्त प्राक्कलन के अधीन केवल 4 नम्बर फ्लैटों का ही निष्पादन किया जा रहा है इस लिए 4 नम्बर फ्लैटों के लिए तकनीकी स्वीकृति राशि 627960/-रू0 बनती है। यह स्थिति सी0एन0आई0टी0 से भी स्पष्ट है क्योंकि इस निमार्ण कार्य के लिए निविदा प्राप्त करते समय सी0 एन0आई0टी0 राशि 474700/-रू0

403

के लिए स्वीकृत की गई है । परन्तु इस निर्माण कार्य पर वास्तविक व्यय 820470.04रू0 हो चुका है जैसे कि माप पुस्तिका संख्या 870/91 पृष्ठ-78 की प्रविष्टि से स्पष्ट है इसे पूर्ण होने तक व्यय में अधिक वृद्धि होने की सम्भावना है । इस प्रकार 627960/-रू0 की तकनीकी स्वीकृति के लिए वास्तविक व्यय 820470.04 रू0 हो चुका है जोकि अनियमित है । अधिक व्यय का औचित्य स्पष्ट करते हुए सक्षम प्राधिकारी से संशोधित स्वीकृति ली जाए तथा भविष्य में प्राक्कलन तैयार करते समय ध्यान रखा जाए कि इस प्रकार की वृद्धि न होने पाए ।

इसी प्रकार 32 नम्बर श्रेणी -। फ्लैटों में भी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सचिव एवं मुख्य अभियन्ता से पत्र संख्या: एच0बी0-2।-।/स्ट्राबेरी/ए0एफ0 तथा ई0 एस0/प्रशासन -83 दिनांक 29.4.83 द्वारा राशि 4478945.00 रू0 के लिए प्राप्त की गई । उसमें 8 नम्बर श्रेणी -। फ्लैटों के निर्माण के लिए राशि 933096/-रू0 का प्रावधान था । परन्तु लेखा परीक्षण में पाया गया कि इस में से भी केवल 4 नम्बर श्रेणी-। के फ्लैटों का निष्पादन किया गया । शेष बनाए नहीं गए जिस से स्पष्ट है कि 4 नम्बर श्रेणी -। फ्लैटों के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि 466548/- रू0 बनती है । परन्तु इन फ्लैटों के निष्पादन में तेहरवें चलत बिल तक वास्तविक व्यय राशि 820470.04 रू0 हो चुका है । जो कि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से शत प्रतिशत बढ़ गया है और इससे भी अधिक बढ़ने की सम्भावना है जो कि अनियमित है ही नहीं अपितु आपत्ति जनक भी है । इस प्रकार की प्रवृति उच्च अधिकारियों को अंधेरे में रखने वाली बात है । जैसे 32 नम्बर फ्लैटों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करके वास्तविक निष्पादन केवल 4 नम्बर फ्लैटों का ही किया गया और प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 32 नम्बर की दिखाई गई और स्वीकृत प्रशासनिक स्वीकृति केअधीन ही व्यय दिखाया गया जो कि गलत एवं अनियमित है । इसलिए 4 नम्बर फ्लैटों के लिए कुल व्यय के साथ सक्षम प्राधिकारी से संशोधित स्वीकृति प्राप्त की जाए तथा अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा पर दिखाई जाए ।

-404-

{घ} वाउचर संख्या: 142 दिनांक 31.3.92 राशि 2,07,954.00 रु0

निर्माण कार्य का नाम : केन्द्रीय जेल भवन कण्डा का निर्माण कार्य{4 नम्बर बैरेक्स ग्रुप-2 निरोध निर्माण कार्य।

अनुबन्ध संख्या :- 8 वर्ष 1987-90

इस निर्माण कार्य के लिए श्री अशोक कुमार, ठेकेदार को चौथे चलत बिल के रुप में राशि 207954.00रु0 का भुगतान किया गया । इस निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए अधिनिर्णय पत्र सं0 एच0बी0ई0/ए-2{298}89-4770-76 दिनांक 21.9.89 द्वारा श्री अशोक कुमार ठेकेदार के पक्ष में स्वीकृति दी गई लेखा परीक्षण में पाया गया कि इस निर्माण कार्य को आरम्भ करने के लिए कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बगैर ही की गई जो कि गलत एवं अनियमित है ।

इसी प्रकार इस निर्माण कार्य के अधिनिर्णय पत्र में निष्पादन आरम्भ करने की तिथि 5.10.1989 थी तथा शर्त संख्या4। के तहत कार्य पूर्ण करने का समय 1½ वर्ष था जो कि 4.4.91 तक बनता है तथा ठेकेदार ने 4.4.91 तक कार्य पूर्ण करना था । परन्तु लेखा परीक्षण में पाया गया कि ठेकेदार ने अभी तक भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया है । जिस के लिए ठेकेदार द्वारा समय बढाने हेतु सक्षम प्राधिकारी की अनुमति नहीं ली गई है जो कि गलत एवं अनियमित है क्यों कि निश्चित तिथि से भी अधिक समय हो चुका है परन्तु ठेकेदार ने अभी भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया है । समय पर कार्य पूर्ण न करने के लिए ठेकेदार से निविदा राशि का 10% दण्ड स्वरुप प्राप्त करना अनुबन्ध की धारा-2 के अन्तर्गत वांछित है । इस अनियमितता का लेखांकन किया जाए तथा अनुवंतन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए ।

{ङ} वाउचर संख्या: 6 दिनांक 4.3.92 राशि 189757.00 रु0

निर्माण कार्य का नाम : केन्द्रीय जेल भवन कण्डा का निर्माण कार्य ।

{4 नम्बर बैरेक्स ग्रुप-1 निरोध निर्माण. कार्य ।

405

इस निर्माण कार्य के लिए श्री अशोक कुमार, ठेकेदार को पांचवें चलत बिल के रूप में राशि 189757.00 रु० का भुगतान किया गया । इस निमार्ण कार्य की जांच पड़ताल उपरान्त निम्नलिखित आपत्तियां एवं अनियमितता लेखा परीक्षण के दौरान पाई गई जिन का ब्यौरा इस प्रकार से है ।

§1§ इस निमार्ण कार्य के निष्पादन के लिए अधिनिर्णय पत्र संख्या: एच0बी0ई0/ए-2§296§/89-2721-27 दिनाँक 7.6.89 द्वारा श्री अशोक कुमार, ठेकेदार के पक्ष में स्वीकृति दी गई लेखा परीक्षण में पाया गया कि इस निमार्ण कार्य को आरम्भ करने के लिए कार्यवाही बगैर सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए ही की गई जो कि गलत एवं अनियमित है ।

इसी प्रकार इस निर्माण कार्य के अधिनिर्णय पत्र में निष्पादन आरम्भ करने की तिथि 21.6.89 थी तथा शर्त संख्या: 1 के तहत कार्य पूर्ण करने का समय एक वर्ष था जो कि 20.6.1990 तक बनता है तथा ठेकेदार ने 20.6 1990 तक निर्माणकार्य पूर्ण करना वांछित था परन्तु लेखा परीक्षण में पाया गया कि ठेकेदार ने अभी तक भी निमार्ण कार्य पूर्ण नहीं किया है । जिस के लिए ठेकेदार द्वारा समय में बढ़ोतरी हेतु सक्षम प्राधिकारी की अनुमति नहीं ली है ।जो कि गलत एवं अनियमित है क्योंकि निश्चित तिथि से भी अधिक समय हो चुका है । परन्तु ठेकेदार द्वारा अभी तक निमार्ण कार्य पूर्ण नहीं किया है । समय पर कार्य पूर्ण न करने के लिए ठेकेदार से निविदा राशि का 10% दण्ड स्वरूप प्राप्त करना अनुबन्ध की धारा-2 के अन्तर्गत वांछित है । इस अनियमितता का लेखांकन किया जाए तथा अनुवर्तन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए ।

§2§ श्री अशोक कुमार ठेकेदार के पक्ष में निविदा स्वीकृत करते समय प्रतियोगी ठेकेदारों में न्यूनतम दरों को उद्धृत करने के लिए बाजार भाव पर औचित्य बनाया बताया गया परन्तु विस्तृत विश्लेषण नहीं दिखाए गए जिससे निम्नतम दरों का औचित्य स्पष्ट हो सके । जबकि इस निविदा की निविदा राशि रु० 12,69,888.33 रु0 तथा डी0एस0आई0टी0 अनुमान राशि

2106

953405.00 रु० थी । इस प्रकार विभागीय औचित्य 39% बनाया गया तथा ठेकेदार को न्यूनतम दरों के आधार पर 33.19% तक प्रिमियम से निविदा स्वीकृत किया गया । औचित्य की पुष्टि के लिए विस्तृत विश्लेषण आगामी लेखा परीक्षण में दिखाया जाए ।

§3§ माप पुस्तिका संख्या: एच0बी0ई0/716/87 पृष्ठ 34 की प्रविष्टि की गणना तथा जांच में पाया गया कि 15 एम0 एम0 सीमेन्ट पलास्टर सिंगल कोट की मद में कुल निष्पादित की गई मात्रा 420.94 वर्गमीटर दिखाई गई जबकि वास्तविक मात्रा 419.96 वर्ग मीटर है इसी प्रकार मात्रा अनुसूचि में भी माप पुस्तिका संख्या: 776/90 पृष्ठ-54 के मद संख्या 14/27 में 420.94 वर्ग मीटर अग्रेनीत की गई जबकि वास्तव में 419.96 वर्गमीटर अग्रेनीत करनी चाहिए थी । इसी प्रकार भुगतान भी 420.94 वर्गमीटर के लिए ही किया गया । इस प्रकार 0.98 वर्गमीटर मात्रा के लिए 20/-रु0 प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि 19.60 रु0 की अधिक भुगतान किया गया जिसे अविलम्ब वसूल किया जाए ।

§ज§ वाउचर संख्या 102 दिनांक 26.3.92 राशि 72723/-रु0 :

निर्माण कार्य का नाम : केन्द्रीय जेल भवन कण्डा का निर्माण कार्य§मुख्य बाह्य दिवार आर0डी0 360 से 380 व 870 से 1038 तक का शेष निर्माण कार्य ।

अनुबन्ध संख्या 5 वर्ष 1991-92

इस निर्माण कार्य के लिए श्री राजिन्द्र चौहान ठेकेदार को सातवें चलत बिल के रूप में राशि 72723/-रु0 का भुगतान किया गया । इस निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए ठेकेदार को अधिनिर्णय आदेश संख्या/एच0बी0ई0/ए-2§3181§/91-2855-60 दिनांक 27.9.91 द्वारा निविदा राशि 2066730.95 रु0 के लिए आदेश जारी किए गए परन्तु लेखा परीक्षण में पाया गया कि इस निर्माण कार्य का प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से तकनीकी रूप में स्वीकृत नहीं करवाया गया जो कि अनियमित एवं आपत्तिजनक है । इस अनियमितता का नियमितीकरण करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय दिखाई जाए ।

507

(झ) वाउचर संख्या: 137 दिनांक 31.3.92 राशि 49598.00रु0

निर्माण कार्य का नाम: स्वत: अर्थपोषित योजना के अधिन स्ट्राबेरी हिल्ज में 8 नम्बर श्रेणी-2 फ्लैटस का निर्माण कार्य ।

अनुबन्ध संख्या: 2 वर्ष 1991-92

इस निर्माण कार्य के लिए पांचवें चलत बिल के रूप में श्री मोहिन्द्र सिंह मली, ठेकेदार को राशि 49598/- रु0 का भुगतान किया गया । ठेकेदार के पक्ष में निविदा राशी 930108.61 रु0 के लिए अधिनिर्णय पत्र संख्या: एच0बी0डी0/ए-2(316)/91-1184-90 दिनांक 12.6.91 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई । निविदा स्वीकृति करते समय प्रतियोगी ठेकेदारों में न्यूनतम दरों को उदधृत करने के लिए बाजार भाव पर औचित्य बनाया बताया गया । परन्तु विस्तृत विश्लेषण नहीं दिखाए गए जिसे न्यूनतम दरों का औचित्य की पुष्टि हेतु विस्तृत विश्लेषण आगामी लेखा परीक्षण में प्रस्तुत किया जाए ।

उप मण्डल सोलन

(ञ) वाउचर संख्या 70 मास 4/91 मु0 29950.00

निमार्ण कार्य: स्थल विकास(स्वय वित्तीय विकास योजना सोलन)
अनुबन्ध संख्या: 1 वर्ष 1990-91

उपरोक्त कार्य के लिए जारी डी0एन0आई0टी0 के अनुसार ब्लॉक नं0 19 तथा 20 में "कटिंग इन अर्थ वर्क" कार्य पिक वर्क, जम्पर वर्क, ब्लास्टिंग तथा चिजलिंग कार्य किया जाना था । जिसके लिए ठेकेदार ने 78 रु0 प्रति घन मीटर की दर से अपने रेट दिए । विभागीय औचित्य में इस कार्य की दर 69.55 रु0 बनाई गई तथा ठेकेदार के साथ बातचीत मे उसने अपने रेट 78 रु0 से 69.50 किए । माप पुस्तिका तथा अन्य सम्बद्ध अभिलेखों के अवलोकन से मालूम हुआ कि स्थल पर वास्तव में ब्लास्टिंग कार्य नहीं किया गया । जबकि ठेकेदार ने अपने रेट विभागीय औचित्य के अनुसार कम किए थे तो औचित्य

408 -

में लिए गए ब्लास्टिंग तत्वों को निकाल कर देय दरें बनानी चाहिए थी जो कि अंकेक्षण में इस प्रकार बनाई गई :-

10 घन मीटर के लिए

1. पिक वर्क

बेलदार	116.65
जमा 15% सी०पी०	17.50
	134.15
एक घन मी० के लिए	13.42

2. जम्पर वर्क

बेलदार	233.33
जमा 15% सी०पी०	34.99
	268.32
एक घनमीटर के लिए	26.83

20% पिक वर्क 13.42 की दर से	2.68	
80% जम्पर वर्क 26.83 की दर से	21.46	
	24.14	(1)
जमा 700 मीटर दूरी के लिए यांत्रिक वाहन प्रभार जोकि विभागीय औचित्य में लिया गया है	38.00	(2)
अत: देय दर	1+2	

= 24.14+ 38.00=62.14

= 62.15

अन्तर= 69.50 - 62.15= 7.35 रु०

प्रथम चलत बिल तक कार्य की मात्रा= 1780.69 घनमी०

अधिक भुगतान = 1780.69 x7.35 = 13088.07 रु०

इसी प्रकार वाउचर सं० 68 मास 4/91 द्वारा ब्लाक नं० 21 तथा 22 के लिए अनुबन्ध सं० 2 वर्ष 1990-91 के अन्तर्गत दूसरे चलित बिल तक 1628.37 घनमीटर

-409-

के लिए कुल 11968.50 रु० का अधिक भुगतान किया गया । अनुबन्ध संख्या 2 वर्ष 1990-91 के लिए वही रेट ठेकेदार को दिए गए जो कि अनुबन्ध संख्या 1 के लिए दिए गए थे ।

उक्त दोनों चलत बिलों में आयकर के ऊपर अधिकर 8% की छूट से काटा गया जबकि यह 12% की दर से काटा जाना था अतः आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए ।

(ट) वाउचर संख्या 140 मास 3/92 मु0 8337.00 रु0

निर्माण कार्य : सामाजिक आवास बस्ति 48 नं0 एम0आई0जी0 फ्लैट सोलन ।

वर्क आर्डर नं0 67 वर्ष 1991-92 .

---

(1) वर्क आर्डर सं0 67 वर्ष 1991-92 द्वारा ब्लॉक नं0 4,5 तथा 6 के नीचे नालियां बनाने का कार्य किया गया जिसकी दर वर्क आर्डर सं0 20 तथा 64 वर्ष 1991-92 की दरों को आधार मान करके भुगतान किया गया । वर्क आर्डर सं0 20 तथा 64 में नींव में रोड़ी का कार्य 1:5:10 के अनुपात से किया गया था । जबकि वर्क आडर नं0 67 में यह कार्य 1:6:12 के अनुपात में किया गया जिसके लिए देय दर कम होनी चाहिए थी । मानक दर अनुसूचि 1987 में 1:5:10 की दर 314.35 रु0 है जबकि 1:6:12 की दर 291.35 रु0 है । इस प्रकार देय दर 1.80 रु0 कम होनी चाहिए थी । वर्तमान चलत बिल में 126.40 घ लत मीटर के लिए भुगतान किया गया जिसमे कुल 227.52 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली ठेकेदार से की जाए ।

(2) इसके अलावा सीमेन्ट की सप्लाई विभागीय तौर पर की गई तथा जारी दर 101.97 रु0 था जबकि यह दर 108.15 रु0 लगाई जानी चाहिए थी जैसे कि सोलन के लिए जारी दर की नस्ति के पृष्ठ 97 पर दर निर्धारण के अनुसार 105 रु0+ 3% स्टोर प्रभार निर्धारित की गई थी । इस प्रकार 6.18रु0 प्रति बैग की दर से 3.6 सीमेन्ट बैग के लिए कुल 222.48 रु0 की कम वसूली की गई है जिसकी वसूली उचित माध्यम से करके

410

अनुपालना आगामी अंकेक्षण में अनुबन्ध के खण्ड 42 के प्रावधानानुसार दिखाई जाए । सीमेन्ट के खाली 36 बोरियों के निपटारे संबंधी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए जो आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए अन्यथा इन 36 खाली बोरियों का मुल्य मु0 32.40 पै0 वसूल किए जाकर अनुवर्तन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए ।

(ठ) वाउचर सं0 45 मास 3/92 मु0 1754.00 :-

निर्माण कार्य :- स्वंय वित्तीय योजना सोलन वर्क आर्डर सं0: 47 वर्ष 1991-92

उक्त निर्माण कार्य में 15 घनमीटर बोल्डर पत्थर विभाग द्वारा जारी किया गया जिसकी वसूली दर 48.70 प्रति घन मीटर बना कर की गई जो कि सही नहीं थी दर विश्लेषण का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया ।

सी0पी0डब्लयू डी अकाउंट कोड के पैरा 10.33 (बी) के अनुसार यदि निर्माण सामग्री विभाग द्वारा जारी की गई हो जिसके लिए अनुबन्ध में प्रावधान नहीं था उसकी वसूली दर बाजार दर या इशु दर जो भी अधिक हो, तय की जाएगी वर्तमान मामले में विभागीय औचित्य के लिए बोल्डर पत्थर की दर मानक दर अनुसूचि 1987 से 80-68 % आर ली गई है । जिसके अनुसार ही वसूली दर निर्धारित की जानी थी जोकि 79.50 रू0 प्रति घन मीटर बनती है । इस प्रकार मु0 1192.50रू0 की वसूली की जानी थी जबकि वसूली मु0 730.50 रू0 की गई । अत: मु0 462.00 रू0 की वसूली उचित माध्यम से करके अनुवर्तन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए ।

(ड) वाउचर सं0 48 मास 3/92 मु0 5540.00 रू0

निर्माण कार्य : स्वंय वित्तीय योजना सोलन । (उप शीर्ष : ब्लॉक नं0 23-24 के सामने रैंगा लगाने का कार्य

वर्क आर्डर संख्या : 56 वर्ष 1991-92

— 411 —

§1§ उक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल में दिए गए प्रमाण पत्र§7§ के अनुसार विभाग द्वारा 2 15 घन मीटर बोल्डर 2 पत्थर जारी किया गया जिसकी प्रविष्टि एम0ए0एस0 में की गई है लेकिन इसकी वसूली ठेकेदार से भुगतान बिल से नहीं की गई जो कि मु0 1192.50 रू0 बनती है । अतः मु0 1192.50 रू0 की वसूली सम्बन्धित व्यक्ति से शीघ्र अनुपालना आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए ।

§2§ 30 बैग सीमेन्ट की वसूली 103.00 प्रति बैग की दर से की गई है जबकि इस अवधि के लिए निर्धारित जारी दर 108.15 । इस प्रकार मु0 154.50 की कम वसूली की गई

इसी प्रकार वाउचर सं0 50 मास 3/92 द्वारा 60 सीमैन्ट बैग की मु0 309 रू0 की कम वसूली की गई है अतः यह कम वसूल की गई राशि 463.50 रू0 शीघ्र वसूल करके अनुवर्तन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए ।

§ट§ <u>वाउचर संख्याः 116 मास 3/92 मु0 11336.00 रू0</u>

निर्माण कार्यः : स्वंय वित्तीय योजना सोलन §उप शीर्ष ब्लॉक नं0 23 तथा 24 के पीछे भूमि की कटाई तथा मलबे को हटाने का कार्य ।

वर्क आर्डर संख्याः 65 वर्ष 1991-92

§1§ उक्त निर्माण कार्य के लिए भूमि की कटाई ठेकेदार को 30.00 रू0 प्रतिघन मी0 की दर से भुगतान किया गया । जबकि इसका विभागीय औचित्य मु0 31.20 प्रति घन मी0 बताया गया है जिसमे पिक वर्क तथा जम्पर वर्क क्रमशः 50%- 50% के अनुपात में लिया गया है । जम्पर वर्क के औचित्य में कुछ तत्वों जैसे डैटोनेटर ड्रिलिंग उपस्कर सांधी वाईल फ्यूज आदि को सम्मिलित किया गया जिन्हें वास्तव में स्थल कंडीशनज के अनुसार शामिल नहीं किया जाना था । अतः दर इस प्रकार बनाई जानी थी :-

लगातार पृष्ठ 26 पर

-412-

पिक वर्क		14.76
जम्पर वर्क		29.44
औस्त दर	= 22.10 + अतिरिक्त लीड	
	= 22.10 + 5.86	
	= 27.96 = 28/-रु0	
अत: देय दर	= 28.00 प्रति घन मीटर	

अधिक भुगतान
===========

कुल मात्रा		231.11 घनमीटर
देय दर		28.00 प्रति घन मीटर
भुगतान दर		30.00 --"---
अन्तर		2.00 x231.11
	=	462.22 रु0

(2) मलबे को हटाने का कार्य :-
==========================

उक्त कार्य के लिए मु0 4402.64 रु0 का भुगतान किया गया जो कि टेंडर फारम के साथ संलग्न x(जनरल स्पैसिफिकेशन एण्ड कण्डीशन्ज) नं0 12,13 तथा 14 के अनुसार देय नहीं था क्योंकि यह व्यय उस ठेकेदार से वसूल किया जाना था जिसके निर्माण अवधि में यह मलबा गिरा था । इस प्रकार भुगतान का औचित्य उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाए ।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि देय दर का विभागीय औचित्य ~~में~~ सही नहीं बनाया गया है । जिसके अनुसार ठेकेदार ने अपने मद दर कम किए थे । विभागीय औचित्य में जो तत्व शामिल किए गए वह स्थल दशा के अनुकूल नहीं थे । तथा देय/औचित्य दर मानक दर अनुसूचि 1987 के दर 8.85+83.33% के अनुसार बनाकर मु0 16.20 रु0 के दर से 200.12 घनमीटर पर 3241.94 रु0 देय थे । इस प्रकार 200.12 घनमीटर के लिए 5.80 प्रतिघन मीटर के दर से 1160.70 रु0 का अधिक भुगतान किया गया है । जिसकी

वसूली शीघ्र करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए ।

(ण) वाउचर सं0 82 मास 3/92 रु0 26611.00 :

निर्माण कार्य : 24 मध्य आय वर्ग मकान सोलन का निर्माण कार्य ।

अनुबन्ध संख्या: 11 वर्ष 1989-90

नीचे दी गई मदों का निर्माण कार्य मात्रा अनुसूचि में दी गई मात्राओं से काफी अधिक किया गया लेकिन बढ़ी हुई मात्राओं के निर्माण के लिए सक्षम प्राधिकारियों से स्वीकृति नहीं ली गई जो कि आपत्तिजनक है । अत: बिना पूर्व स्वीकृति से किए गए कार्य का औचित्य दिया जाए तथा विहित अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके आगामी लेखा परीक्षा में दिखाई जाए :-

मात्रा अनुसूचि की मद संख्या	मात्रा जो की जानी थी ।	मात्रा जो 19 वें चलत बिल तक की गई ।	अन्तर
परिशिष्ट "ए"			
2	414.72 घनमी0	744.25	329.53
4(सी)	63.30 चलत मी0	464.70	401.40
5	121.14 घनमीटर	199.02	77.88
11	171.72 वर्गमी0	343.42	171.70
12	121.94 घन मीटर	325.38	203.44
16(स्टोन मैसनरी	201.57 घन मीटर	429.39	227.82
27(टेराजो टाईल्ज	33.00 वर्ग मी0	252.14	219.14
37(पेंटिंगटाप स्फ	326.40 वर्ग मी0	582.01	255.61
45(सीमैन्ट प्लास्टर 1:3	852.40 वर्गमी0	1171.86	319.46
46(प्लास्टर (1:6)	2185.24 वर्ग मी0	4019.60	1834.36
49 सफेदी	1024.12 वर्ग मी0	4129.69	3105.57
51(पलिंथ	68.10 वर्ग मी0	358.44	290.34

M14

(ग) वाउचर संख्या 75 मास 3/92 मु0 18966.00 रु0

वाउचर संख्या 77 मास 3/92 मु0 18966.00 रु0

निमार्ण कार्य : ब्लॉक नं0 7 व 8 में 1 ... नं0 एम0आई0जी0 फ्लैट सोलन में विद्युतिकरण ।

वर्क आर्डर संख्या: 18 व 19 वर्ष 1991-92

उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु मै0 ... एण्ड क0 सोलन को भुगतान किया गया जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई ।

आंतरिक विद्युतिकरण का कार्य अनुबन्ध संख्या 3 वर्ष 1987-88 द्वारा मै0 ब्रज भूषण, सोलन को पत्र संख्या एस0डी/एचबी डब्लयू-40/948-57 दिनांक 28.5.87 द्वारा दिया गया । ठेकेदार द्वारा यह कार्य पूर्ण नहीं किया गया तथा अधूरा शेष कार्य वर्क आर्डर संख्या 18 व 19 वर्ष 1991-92 द्वारा मै0 ... एण्ड क0 सोलन से करवाया गया तथा कार्य का व्यय निर्माण कार्य के खाते में डाल (डैबिट) दिया गया । अनुबन्ध की धारा 3(सी) के अनुसार ठेकेदार द्वारा कार्य छोड़ देने पर यदि वह कार्य किसी दूसरे ठेकेदार से करवाया जाता है तो भुगतान की राशि का अन्तर जिसका भुगतान दूसरे ठेकेदार को पहले ठेकेदार की अपेक्षा अधिक किया गया उसकी वसूली पहले वाले ठेकेदार से की जानी थी ।

इस मामले में पहले अनुबन्ध के अनुसार कार्य की कुल लागत मु0 34,295 रु0 बनती थी जिसमें से उस ठेकेदार को मु0 17205 रु0 का भुगतान किया जा चुका था तथा दूसरे ठेकेदार को बचे कार्य करवाने हेतु मु0 37932 (18966x2) रु0 का भुगतान किया गया इस प्रकार कार्य की कुल लागत मु0 55137 रु0 बनी जबकि पहले अनुबन्ध की कुल लागत मु0 34295 रु0 थी ।

इस प्रकार इस कार्य पर 20842/- का अधिक खर्च करना पड़ा जिसकी वसूली पहले वाले संविदाकार (श्री ब्रज भूषण)

से की जानी है । अत: शीघ्र इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करके अनुवर्तन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए ।

6. भण्डार :-

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया है कि उप मण्डल सोलन से सीमेन्ट तथा स्टील जारी करते समय इन्डैंटस में इशु दर सही नहीं लगाई गई है । जिससे निर्माण कार्य के लेखों का समायोजन करते समय कम राशि डाली गई तथा कई मामलों में सीधे ठेकेदारों को अधिक भुगतान किया गया । अंकेक्षण अवधि में कम लगाई गई इशु दर का विवरण नीचे दिया गया है । जिसका समायोजन शीघ्र करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय दिखाई जाए ।

मद का नाम	स्टील के इंडैंट नं० व तिथि	मात्रा क्विं	इशु दर जो लगाई गई ।	इशु दर जो लगाई जानी थी	अन्तर	राशि जो कम वसूल की	टिप्पणी
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.
12 एमएम स्टील	7555 तिथि 11.4.92	3.35	828.40 प्रति क्वि	850.25 प्रति क्वि	21.85 प्रति क्वि	73.20	इशु दर पत्र संख्या एचबीई/ए-इशु रेट/ 89-3058 तिथि ~~25~~ 25.9.58 द्वारा निर्धारित की गई थी ।
12 एमएम स्टील	7563	2.50	--"--	--"--	--"--	54.60	--"--
--"--	7608 तिथि 17.8.91	2.52	--"--	--"--	--"--	55.15	--"--
--"--	7550 तिथि 6.7.91	0.80	--"--	--"--	--"--	17.50	--"--
--"--	7604 तिथि 2.8.91	1.80	--"--	--"--	--"--	39.35	--"--

416

			—"—	—"—	—"— 109.25	—"—
12एमएम स्टील	7612, ति0 9.9.91	5.00	—"—	—"—	—"— 37.55	—"—
—"—	7618 ति0 23.9.91	1.718	—"—	—"—		
10एमएम स्टील	7615	5.46	937.65	1071.85	134.20,732.75	इशु दर पत्र सं0 एचबी-ए-एई-2/स्टोर/87 418 ति0 23.9.91
—"—	7590 ति0 24.9.91	546	910.35	1071.85	161.50,881.80	द्वारा निर्धारित की गई भण्डार प्रभार अतिरिक्त है। —"—

सीमैन्ट के इण्डेंट नं0 व तिथि	मात्रा (बैग में)	इशुदर जो लगाई गई	इशुदर जो लगाई जानी थी।	प्रति बैग अन्तर	भण्डार प्रभार अन्तर	राशि जो कम वसूल की गई	टिप्पणी
~~7623, 25.10.91~~							
7623,26.10.91	40 बैग	99.00	108.15	9.15	—	366.00	इशुदर नस्ति के पृ0 47 पर निर्धारित की गई।
7546,12.11.91	180	99.00	105.00	6.00	33.00	1113.00	इशु —"—
7597,12.11.91	50	100.00	105.00	5.00	7.50	257.50	—"—
7633,—"—	10	100.00	105.00	5.00	1.50	51.50	—"—
7634 —"—	50	100.00	105.00	5.00	7.50	257.50	—"—
7637,22.11.91	50	99.00	105.00	6.00	9.00	309.00	—"—
7636—"—	25	99.00	105.00	6.00	4.50	154.50	—"—
7638,26.11.91	25	99.00	105.00	6.00	4.50	154.50	—"—
7639,27.11.91	48	99.00	105.00	6.00	8.65	296.65	—"—

[illegible]40,5.12.91	15	99.00	105.00	6.00	2.70	92.70	इस दर नस्ति के पृ0 47 पर निर्धारित की गई।
7599,10.12.91	150	99.00	105.00	6.00	27.00	927.00	—"—
7600,13.12.91	50	99.00	105.00	6.00	9.00	309.00	—"—
7641—"--	50	99.00	105.00	6.00	9.00	309.00	—"—
7642,20.12.91	10	99.00	105.00	6.00	1.80	61.80	—"—
7643,--"--	10	99.00	105.00	6.00	1.80	61.80	—"—
7644,9.1.92	50	~~50.00~~ 99.00	105.00	6.00	9.00	309.00	—"—
7645,--"--	90	99.00	105.00	6.00	16.20	556.20	—"—
7646--"--	90	99.00	105.00	6.00	16.20	556.20	—"—
9976,28.1.92	50	99.00	105.00	6.00	9.00	309.00	—"—
9977,--"--	40	100.00	105.00	5.00	6.00	206.00	—"—
7649,--"--	100	99.00	105.00	6.00	18.00	618.00	—"—
7648,--"--	30	100.00	105.00	5.00	4.50	154.00	—"—
9979,10.2.92	20	100.00	105.00	5.00	3.00	103.00	—"—
9980,11.2.92	40	100.00	105.00	5.00	6.00	206.00	—"—
9982,25.2.92	60	100.00	105.00	5.00	9.00	309.00	—"—
9983--"--	15	99.00	105.00	6.00	2.70	92.70	—"—
9984;26.2.92	165	99.00	105.00	6.00	29.70	1019.70	—"—
9985,5.3.92	60	100.00	105.00	5.00	9.00	309.00	—"—
9957.11.3.92	50	99.00	105.00	6.00	9.00	309.00	—"—
9986,18.3.92	50	99.00	105.00	6.00	9.00	309.00	—"—
9987,21.3.92	5	100.00	105.00	5.00	0.75	25.75	—"—
9988--"--	25	99.00	105.00	6.00	4.50	154.50	—"—
9952,22.3.92	36	99.00	105.00	6.00	6.50	222.50	—"—
9953,25.3.92	25	99.00	105.00	6.00	4.50	154.50	—"—
9954,30.3.92	25	99.00	105.00	6.00	4.50	154.50	—"—
9990,23.3.92	25	100.00	105.00	5.00	375	128.75	—"—
						10927.75 (की)	

418 -

ए + बी

= 2001-15+ 10927.75 = 12928.90

(क) स्टॉक/एम0एस0 लाईब्रेरी कम आडिटोरियम बिल्डिंग हिप्पा स्थित पेयरलॉन)

(1) उक्त कार्य के एम0ए0एम0 के अवलोकन से पाया गया कि नीचे दी गई वस्तुऐं जो एम0ए0एस0 में मौजूद थी श्री देश राज गांधी द्वारा श्री प्रीतम सिंह को कार्यभार सम्भालते समय कम सौंपी गई । कम सम्भाले गए सामान की वसूली हेतु कार्यालय द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई । अत: यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है ? तथा इसमें पूर्ण छानबीन की जाए और वसूली दोषी व्यक्ति से करके अनुपालना आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए :-

वस्तु का नाम	मात्रा	एम0ए0एस की पृ0 संख्या ।
देवदार लकड़ी	0.32 घ0मी0	4
जीजीआई शीट	2	6
तारकोल के खाली ड्रम	15	7
जीजीआई शीट 8'x3'	6	9
देवदार लकड़ी (बलियां)	10	11
फाईबर ग्लास	1 सेट	13

(2) नीचे दी गई वस्तुए उक्त एम0ए0एस0 से प्रेम सिंह ठेकेदार को जारी की गई दर्शाई गई लेकिन इण्डेंट की संख्या दिनांक,कार्य इत्यादि की कोई ब्यौरा नहीं दिया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि स्थानान्तरण के समय एम0ए0एस0 में यही इन वस्तुओं की मात्रा को शून्य करने हेतु यह प्रविष्टियां की गई । अत: इन मामलों में पूर्ण छानबीन की जाए तथा वसूली दोषी व्यक्ति से करके अनुवर्तन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए ।

419

वस्तु का नाम	मात्रा	एम०एस० की पृ० संख्या
एम०एस० प्लेट [40x6 एम०एम०]	98 कि० ग्रा०	1
पिंक प्राइमर	40 लीटर	10
स्टील 6 एम०एम	33.88 कि०ग्रा०	19
--"--12--"--	3.20 क्विं	19
--"--16--"--	6.38 क्विं	19
--"--28--"--	6.30 क्विं	19

[3] उक्त एम०ए०एस० के पृष्ठ संख्या 3 के अनुसार 1.52 घनमीटर देवदार की लकड़ी निर्माण स्थल पर मौजूद थी जो मण्डलीय भण्डार को जारी की दर्शाई गई। भण्डार के एम०ए०एस० तथा बिन कार्ड के अवलोकन से पाया गया कि यह लकड़ी भण्डार में प्राप्त नहीं की गई जिससे प्रतीत होता है कि यह लकड़ी वास्तव में भण्डार को जारी नहीं की गई बल्कि एम०ए०एस० में गलत प्रविष्टि दर्शाई गई। इसके अलावा यह भी पाया गया कि जारी करने की तिथि, इण्डैट संख्या इत्यादि का भी कोई ब्योरा नहीं दिया गया। अत: इस सारे मामले की पूर्ण छानबीन की जाए तथा परिणामों से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। तदानुसार वसूली दोषी अधिकारी/कर्मचारी से की जाए।

[ग] एम०ए०एस० मार्किटिंग परिसर टली

उक्त एम०ए०एस० के पृ० 15 के अनुसार नीचे दिए गए विभिन्न ब्यास के सरिए का लेखा बनाया गया जिसके अनुसार कुल 1598.47 कि०ग्राम स्क्रैप निर्माण स्थल में मौजूद थी तथा कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा दी गई टिप्पणी के अनुसार उक्त मात्रा में से 8 क्विं स्क्रैप इकत्रित की गई जो कि ठेकेदार के पास पड़ी दर्शाई गई एवं 7.98 क्विं स्क्रैप इकत्रित ही नहीं की गई। स्क्रैप खाते के अनुसार कोई भी राशि वसूल नहीं की गई। अत: 1598.47 कि०

420

ग्राम स्टोर के मुल्य की वसूली दोषी व्यक्तियों से शीघ्र करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय दिखाई जाए ।

(घ) सीमेन्ट की इशु दरें कम बनाने से राशि 18180.00 रु0 का घाटा :-

समायोजन वाउचर संख्या 15 दिनांक 3/92(पूरक) द्वारा राशि 17,51637.00 रु0 का प्रबन्ध निदेशक, हि0प्र0 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के विविध अग्रिम खाते में समायोजन किया गया है । इस राशि का समायोजन मई 1991 से मार्च 1992 तक सीमेन्ट की आपूर्ति के लिए पूर्व में दिए गए अग्रिम के अन्तर्गत किया गया । परन्तु जिस प्रकार से समायोजन एवं सीमेन्ट की लागत समायोजित की गई उसी प्रकार से इशु रेट नहीं बनाए गए जिसे स्टोर को राशि 18180/-रु0 का घाटा उठाना पड़ा तथा इसी प्रकार से विभिन्न इन्डैंटों के माध्यम से जारी किया गया सीमेन्ट से विभिन्न निमार्ण कार्यों का कम लागत डाली गई । जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है । जिस का लेखांकन करके अनुपालना आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए:-

जी0आर0नम्बर एवं तिथि	सीमेन्ट की मात्रा	इशु रेट जो लगाई गई प्रति बैग ।	इशु रेट जो लगाई जानी थी प्रति बैग ।	अन्तर प्रति बैग	राशि जो कमलगाई गई ।
2743,2744 एवं 2745 जनवरी-1992	2160 बैग	94/-रु0	96/-रु0	2/-रु0	4320/-रु
2749 तथा 2750 मार्च-1992	1980 बैग	94/-रु0	101/-रु0	7/-रु0	13860/-
				योग =	18180/-रु

(ङ) जी0आर0नम्बर 2724 दिनांक 17.8.91 :

421

निम्नलिखित भण्डार सामग्री कोरटन कालोनी से मण्डलीय भण्डार को स्थानान्तरित की गई तथा बिन कार्ड नम्बर 126,127 तथा 128 में प्रविष्टि की गई परन्तु लेखा परीक्षा में पाया गया कि इस जी0आर0 का लेखों में समायोजन नहीं किया गया जिससे अन्तिम लेखों में भण्डार की कीमत कम दर्शाई गई । जिसका अब शीघ्र लेखांकन किया जा करके अनुवर्तन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए :-

1. बान लकड़ी 18.50 क्विंटल

2. देवदार लकड़ी 1.01 घनमीटर

3. कायल लकड़ी 0.53 घन मीटर

(च) वाह्य जल आपूर्ति योजना स्ट्राबेरी वस्ती एम0ए0एस0 पृष्ठ-16 :-

उपरोक्त एम0ए0एस0 में जी0आई0पाईप साईज 65 एम0एम0 8.64 रनिंग मीटर शेष थी । परन्तु इस शेष मात्रा को आगे के लिए अग्रेनीत नहीं किया गया तथा शून्य किया गया जबकि जी0आई0पाईप साईज 65 एम0एम0 8.64 रनिंगमीटर शेष थी । इस प्रकार इस सामग्री की 40/-का प्रति रनिंग मीटर की दर से ~~8.64~~ 8.64 रनिंग मीटर का कुल मुल्य राशि 8.64x40= 345.60 रू0 बनती है । इस राशि 345.60 रू0 की वसूली दोषी कर्मचारी /अधिकारी से करके अनुपालना आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए ।

चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति :-

(क) वाउचर संख्या: 177 दिनांक 30/4/91 राशि 2864/-रू0

मु0 2864/-रू0 की राशि का कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के रूप में भुगतान किया गया । इस राशि में राशि 420/-रू0 का श्री राम लाल सेवादार को भुगतान किया गया । लेखा परीक्षा में जांच पड़ताल उपरांत पायागया कि श्री राम लाल का चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा कालातीत हो गया था तथा जिसका भुगतान नहीं किया

422

सकता था क्योंकि उक्त दावे में रोगी का इलाज 8.11.90 से 14.12.90 तक चला परन्तु चिकित्सा प्रतिपूर्ती दावा 22.3.91 को कार्यालय में प्रस्तुत किया गया । जबकि निश्चित तीन मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना था । अतः इस राशि का सक्षम प्राधिकारी से कालातीत दावे को नियमित करने के लिए स्वीकृति ली जाए या इस राशि की अविलम्ब वसूली की जाए ।

(ख) वाउचर सं0 184 दिनांक 30.4.91 राशि 601/-रु0 :

मु0 601 रु0 की राशि का कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ती दावे के रूप में भुगतान किया गया । इस राशि में राशि 70/-रु0 का श्री मती शिव देवी वरिष्ठ लिपिक को भुगतान किया गया । लेखा परीक्षण में जांच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि श्री मती शिव देवी के चिकित्सा प्रतिपूर्ती दावे में मु0 34/-रु0 की राशि की अस्वीकार्य दवाईयां बी-काम्पलेक्स तथा हेप्टाग्लोबीन भी थी जिन का भी भुगतान किया गया जो कि मान्य नही है । इसलिए राशि 34/-रु0 की सम्बन्धित कर्मचारी से अविलम्ब वसूली की जाए । तथा अनुपालना आगामी लेखा परीक्षण में समक्ष दिखाई जाए ।

8. स्थापना व्यय :-

(क) राशि 66/-रु0 की श्रीमती कमलेश गोयल को अधिक भुगतान :-

श्रीमती कमलेश गोयल, वरिष्ठ सहायक को 1.1.1991 को वार्षिक वेतन वृद्धि देय थी तथा उसी तिथि से दी गई । लेखा परीक्षण में पाया गया कि श्री मती कमलेश गोयल 1.1.91 से 20.1.91 तक अर्जित अवकाश पर थी तथा 21.1.91 को अवकाश उपरान्त कार्यग्रहण किया था । इस लिए वार्षिक वेतन वृद्धि में वित्तीय लाभ 21.1.91 से ही देय था परन्तु श्री मती गोयल को 1.1.91 से ही/

423

वित्तीय लाभ दिया गया । इस प्रक्रिया में श्रीमती गोयल को मु0 66/-रु0 की राशि का अधिक भुगतान किया गया । तथापि यह राशि लेखा परीक्षाधीन अवधि में ही सितम्बर 1993 के वेतन बिल से वसूल कर ली गई ।

§ख§ लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां नियमित रूप से नहीं की जा रही है । उदाहरणतया जो सेवा पुस्तिकाएँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गई उन में कालम 2 से 12 की प्रविष्टियां पूर्ण नहीं थी । संशोधित वेतनमानों में कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन निर्धारण से सम्बन्धित प्रविष्टियां नहीं की गई है जबकि बकाया राशि बिलों का भुगतान कर दिया गया है श्री सतबीर सिंह रिशी की सेवा पुस्तिका अधूरी पाई गई । निम्नलिखित कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सेवा पुस्तिकाएँ जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई

1. सर्वश्री आर0सी गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता ।
2. एच0एल0 शर्मा, अधिशासी अभियन्ता ।
3. वेद प्रकाश शर्मा, सहायक अभियन्ता ।
4. अनिल शारदा, वरिष्ठ प्रारूपकार ।
5. एच0आर0 ठाकुर, मण्डलीय लेखाकार ।
6. काश्मीर सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता ।
7. पी0के0 सूद, कनिष्ठ अभियन्ता ।
8. हंस राज गांधी, कनिष्ठ अभियन्ता ।
9. कल्याण सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता ।
10. के0एल0 नेगी, वरिष्ठ सहायक ।
11. नरेश पठानियां, कनिष्ठ सहायक ।
12. श्रीमती उषा , वरिष्ठ लिपिक ।

अत: अब शीघ्र अधूरी सेवा पुस्तिकाओं को पूर्ण किया जाए तथा उक्त वर्णित सेवा पुस्तिकाओं को आगामी पड़ताल के समय जांच हेतु प्रस्तुत की जाए ।

9. **विविध भुगतान :-**

§क§ वाउचर संख्या: 113 दिनांक 19.9.91 राशि 4690/-रु0

मु0 4690.00रु0 की राशि का चैक सं0 013918 दिनांक 19.4.91 द्वारा मै0 दत्ता इलैक्ट्रिक वर्क्स सोलन को बिजली के समान की आपूर्ती हेतु बिल संख्या 2356 दिनांक 6.3.91 के लिए भुगतान किया गया । इस बिजली के सामान की खरीद खुले बाजार से नियमानुसार औपचारिकताओं को पूर्ण किए बगैर ही की गई जबकि दर संविदा की दरों पर खरीदी जानी थी । स्टाक रजिस्टर की प्रविष्टियां तथा वास्तविक भुगतान पावती भी नहीं दिखाई गई । इस अनियमितता का लेखांकन करके अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा में दिखाई जाए ।

(ख) वाउचर संख्या: 162 दिनांक 23.4.91 राशि 4290.00रु0

श्री किशन सिंह सहायक फिटर, दैनिक भोगी कर्मचारी को चैक संख्या 013929 दिनांक 23.4.91 द्वारा राशि 4290.00रु0 का छटनी उपरान्त क्षतिपूर्ती के रूप में 135 दिनांक की मजदूरी के रूप में भुगतान किया गया । इस भुगतान के सम्बन्धित अभिलेख नहीं दिखाए गए जिसके अन्तर्गत यह भुगतान किया गया । जिसमें सक्षम प्रधिकारी के छटनी आदेश मस्टरोल जिन से उसकी पूर्ण कार्य दिवसों को सत्यापित किया जा सकता था, सम्मिलित है । यह भुगतान कनिष्ठ अभियन्ता की हैण्ड रसीद पर किया गया जिसमें पूर्ण विवरण अंकित नहीं है । और न ही सक्षम प्राधिकारी ने सत्यापित किया है । इस अनियमितता का लेखांकन किया जाए ।

(ग) वाउचर संख्या: 161 दिनांक 23.4.91 राशि 550/-रु0 :

मु0 550/-रु0 की राशि का श्री प्रेम गोयल, अधिवक्ता को चैक संख्या 013928 दिनांक23.4.91 द्वारा विधि शुल्क के रूप में भुगतान किया गया । यह भुगतान सिविल मुकदमें जो कि उप न्यायाधीश -2 के न्यायालय में रामादेव प्रसाद सिंह व अन्य बनाम नगर निगम शिमला जो कि लैस्टन कालोनी से सम्बन्धित में आवास बोर्ड को प्रोफोर्मा प्रतिवादी बनाया गया था के लिए किया गया है । लेखा परीक्षा में पाया गया कि वकील ने बिल नम्बर 19/85 दिनांक 23.9.85 का प्रस्तुत किया

425

गया । तथा 4/91 में भुगतान किया गया । यह ~~विलम्बत~~ बिलम्बित समय में प्रस्तुत किया गया जिसके लिए कोई स्पष्ट औचित्य नहीं दिया गया है और न ही विधि अधिकारी से सत्यापित करवाया गया है । इसके साथ-2 सम्बन्धित अभिलेख जिसमें इस भुगतान की वास्तविकता प्रमाणित हो सके, लेखा परीक्षा में नहीं दिखाया गया, जैसे श्री गोयल को सक्षम अधिकारी ने इस मुकदमे के लिए काउंसेल नियुक्त किया, से सम्बन्धित आदेश भी नहीं दिखाए गए । इस मुकदमे में प्रोफोर्मा प्रतिवादी के रूप में जो कार्य किया उसके एवज में जबाब की प्रति यदि कोई न्यायालय में प्रस्तुत किया गया होगा नहीं दिखाई गई और न ही माननीय न्यायालय में उपस्थित होने से सम्बन्धित प्रमाणपत्र ही दिखाया गया । उपरोक्त अनियमितता का लेखांकन किया जाए अन्यथा इस अनियमित भुगतान की वसूली की जाए ।

(घ) वाउचर संख्या: 123 दिनांक 20.4.91 राशि ~~880.00रु0~~ 880 रुपये :

मु0 880/-रु0 की राशि का श्री प्रेम गोयल, अधिवक्ता को चैक सं0: 013925 दिनांक 20.4.91 द्वारा विधि शुल्क के रूप में भुगतान किया गया । यह भुगतान सिविल मुकदमे जो कि उप-न्यायाधीश-2 के न्यायालय में श्री परसोमन राम व अन्य बनाम नगर निगम शिमला जो कि केलस्टन कालोनी से सम्बन्धित है में आवास बोर्ड को प्रोफोर्मा ~~प्रतिवादी~~ प्रतिवादी बनाया गया था के लिए किया गया है । लेखा परीक्षा में पाया गया कि सम्बन्धित अधिवक्ता द्वारा दिनांक 21.4.87 को बिल प्रस्तुत किया गया जिसका 4/91 में भुगतान किया गया । यह बिलम्बित समय ~~ज~~ में प्रस्तुत किया गया जिस के लिए कोई स्पष्ट औचित्य नहीं बताया गया है और न ही विधि अधिकारी से सत्यापित करवाया गया है । इसके साथ-2 सम्बन्धित अभिलेख जिस में यह भुगतान की वास्तविकता प्रमाणित हो सके ही दिखाया गया । जैसे कि श्री गोयल को सक्षम अधिकारी ने इस मुकदमें के लिए काउंसेल नियुक्त किया के आदेश भी नहीं दिखाए गए । इस मुकदमें में प्रोफोर्मा प्रतिवादी के रूप में जो कार्य किया

19/9/94

426

उस के एवज में जबाव की प्रति यदि कोई न्यायालय में प्रस्तुत की गई होगी ही दिखाई गई तथा माननीय न्यायालय से प्राप्त किया गया उपस्थिति प्रमाणपत्र ही दिखाया गया । उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी पाया गया कि हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड ने विभिन्न न्यायालयों में मुकदमें की पैरवी के लिए काउंसल फीस निर्धारित की है जिस में उप न्यायाधीश-2 के न्यायालय पैरवी के लिए रु0 550/-प्रति मुकदमा निर्धारित किए है । जबकि इस मुकदमें के लिए राशि 880/-रु0 का भुगतान किया गया है जो कि गलत एवं अनियमित है । इस लिए अधिक भुगतान राशि 330/-रु0 की वसूली करके तथा अन्य अनियमितताओं का लेखांकन करके अनुपालना दिखाई जाए ।

10. वाहन :-

लेखा परीक्षण के दौरान वाहनों से सम्बन्धित लेखाओं में निम्नलिखित आपत्तियां एवं अनियमितताऐं पाई गई जिन का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

(क) समायोजन वाउचर संख्या: 19 दिनांक 3/92 (एस0) राशि 9958.00रु0 :-

लेखा परीक्षण के दौरान वाहन सं0 एच0आई0एस-2744 की मासिक आउट टर्न मास मार्च 1992 के लिए जो समायोजित की गई है की जांच पड़ताल के उपरान्त पाया गया कि 6.3.1992 को यह वाहन निगम बिहार से चक्कर चक्कर से पैन्नरलौन, पैन्नरलौन से एस0डी0ए0 कार्यालय तथा एस0डी0 ए0 कार्यालय से संजौली चलाई गई तथा लॉग बुक की प्रविष्टि के अनुसार 54 किलो मीटर चलाई गई । आउटटर्न की समायोजन करते समय उप-मण्डल से 54 कि0मीटर का ही निमार्ण कार्यों के लिए व्यय का समायोजन किया गया तथा मण्डल कार्यालय को समायोजन विवरण प्रस्तुत किया गया । परन्तु विस्तृत जांच पड़ताल के उपरान्त पाया गया कि मण्डल कार्यालय में 6.3.1992 को लॉग बुक की प्रविष्टि 54 कि0मीटर को काट करके 177 कि0

427

मीटर कर दिया गया तथा आउटर्न विवरण में भी 54 को काट कर 177 किलोमीटर कर दिया गया जिसका कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । इस दिन लोग बुक की प्रविष्टि के अनुसार वाहन शिमला में ही चला और जितनी वाहन चली उस के आधार पर कुल 54 किलोमीटर ही हो सकता है । 177 कि0 मीटर शिमला में चलने का कोई भी औचित्य प्रतीत नहीं हो रहा है । आउटर्न के समायोजन में जो अधिक मील दूरी (177-54=123 कि0मीटर) दिखाए गए है । वह काल्पनिक प्रतीत हो रहे है । इस आउटर्न को शिमला स्थित निमार्ण कार्यों के व्यय के रूप में दिखाया गया है जो कि अनियमित एवं गलत है । इस प्रकार 54 किलोमीटर को काट छांट करके 177 कि0 मीटर करके 123 कि0 मीटर अधिक दिखाकर के बोर्ड पर 799.50 रू0 (123 x 6.50 रू0) का अधिक व्यय डाला है । जो अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है । अत: इस सम्बन्ध में छानबीन करके मु0 799.50 पै0 की वसूली दोषी पाए गए कर्मचारी से करके अनुवर्तन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाए ।

(ख) समायोजन वाऊचर संख्या: 17 दिनांक 3/92 (एस0) राशि 617.50 रू0 :-

===

लेखा परीक्षण के दौरान वाहन सं0 एच0आई0एस0-2744 की मासिक आउटर्न मास 12/91 के लिए जो कि समायोजित की गई है की जांच पड़ताल उपरान्त पाया गया । 30.12.91 को यह वाहन सैंजोली से निगम विहार तथा निगम विहार से चक्कर चलाई गई तथा लौग बुक की प्रविष्टि के अनुसार 25 कि0मीटर चलाई गई । परन्तु इस आउटर्न का व्यय राशि 25 x 6.50रू0 = 162.50 रू0 नियमित विपणन परिसर दली के लिए किया गया जो कि गलत एवं अनियमित है । क्योंकि इस निर्माण कार्य के लिए वाहन चलाई नहीं गई । इस व्यय का नियमित विपणन परिसर दली के लिए औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सम्बन्धित व्यक्ति से वसूली करके

19/9/95

428

अनुपालना आगामी लेखा परीक्षण के समय दिखाई जाए ।

11. पानी प्रभार :- [सोलन उप मण्डल]

[क] मु0 216 रु0 का कम जमा करवाना :-

सोलन उप मण्डल की रोकड़ वही के अवलोकन से पाया गया कि मास 2/92 में नीचे दी गई रसीदों द्वारा भिन्न-2 आबंटियों से पानी के बिलों की प्राप्ती की गई लेकिन इस राशि को सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा मण्डलीय का कार्यालय में जमा नहीं करवाया गया । यद्यपि यह राशि अंकेक्षण के समय रसीद संख्या 903 दिनांक 18.10.93 द्वारा मण्डलीय कार्यालय में जमा करवाई गई जिसकी सत्यापना कर ली गई । भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं की ओर पूर्ण ध्यान दिया जाया करे :-

रसीद सं0 व तिथि	राशि
4847 दिनांक 3.2.92	15.00
4848 दिनांक —"—	69.00
4849 दिनांक 10.2.92	99.00
4850 दिनांक —"—	33.00
कुल योग	216.00

[ख] उपमण्डल सोलन में पानी के माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर के अवलोकन से पाया गया कि आबंटियों को जारी किए गए बिलों की शर्त संख्या 5 के अनुसार बिल की निर्धारित समय पर अदायगी न करने की स्थिति में बिना सूचना दिए आबंटी की जल आपूर्ति बन्द की जानी थी जबकि कार्यालय द्वारा इस शर्त के अनुसार कार्यवाही न करने के कारण मीटर को री-कुनेक्शन फीस की वसूली नहीं हो सकी जिसके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से है :-

लगातर पृष्ठ 43 पर...

- 429 -

खाता सं० व नाम	बिल जारी करने की तिथि	राशि जमा करने की तिथि	वसूली की तिथि	अवधि जिसके लिए बिल जारी किया गया ।
डी-2 सलिल नांरग	5.4.91	16.4.91	14.5.91	2 व 3/91
डी-30 सी०एल० गोगिया	5.4.91	16.4.91	18.5.91	—"—
डी-138 के०पी० मेयर	3.3.92	13.3.92	14.5.92	1 व 2/92
डी-66 शिव दयाल सहगल	3.3.92	13.3.92	27.4.92	—"—
डी-54 एन०के० साहनी	10.5.91	20.5.91	21.2.91	4/91

इस प्रकार के सभी मामलों में विभागीय कार्यवाही की जा करके नियमानुसार वांछित कार्यवाही की जाए ।

12. विविध आपत्तियां

(क) समायोजन वाउचर संख्या 4 मास 3/92 मु0 4055.00रु0

(1) मु0 122.30 रु0 का भुगतान मै0 अनूप सर्विस स्टेशन शिमला को उनके बिल संख्या 3618 दिनांक 15.7.91 के लिए किया दर्शाया गया जिसके अन्तर्गत 10 लीटर पैट्रोल गाड़ी संख्या एच0आईएस-2744 के लिए डाला दर्शाया गया है । जबकि उक्त गाड़ी के लौग बुक पृष्ठ 8 में की गई प्रविष्टि के अनुसार यह गाड़ी इस दिन शिमला से बाहर गई थी तथा दि0 15.7.91 को सांज में रुकी थी । इस प्रकार यह भुगतान सही प्रतीत नहीं हो रहा है जिसके लिए विभागीय छानबीन की जाए तथा उचित कार्यवाही के इलावा मु0 122.30 रु0 की वसूली दोषी व्यक्ति से की जाए ।

(2) गाड़ी संख्या एच0आई0एस0 2744 के पृष्ठ 7 के अनुसार दिनांक 6.7.91 को यह गाड़ी देहरा से शिमला आई जिसके लिए 25 ली0 पैट्रोल मै0 कृष्णा फिलिंग स्टेशन भोटा (हमीरपुर) से क्रय किया गया तथा इसी दिन मै0 विक्टरी फिलिंग स्टेशन सोलन से भी 10 ली0 पैट्रोल क्रय किया गया दर्शाया गया जो कि सही प्रतीत नहीं होता क्योंकि लोग बुक के अनुसार यह गाड़ी देहरा से शिमला आई और यही सबसे छोटा

430

मार्ग यात्रा के लिए है । इस प्रकार सोलन से क्रय किया दर्शाया पेट्रोल ठीक नहीं है । जिसके लिए छानबीन की जाए तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही के इलावा मु0 148.60 रु0 की वसूली शीघ्र की जाए ।

(ख) समायोजन वाउचर संख्या 17 मास 3/92 मु0 9744/60 रु0

(1) मस्टर रोल संख्या 18

उक्त मस्टर-रोल भण्डार को मास2/92 के लिए जारी किया गया जिसमें 5 बेल दारों को पूर्ण मास के लिए तैनात किया गया तथा कुल मु0 3036 रु0 का भुगतान किया गया । उक्त 5 बेलदारों द्वारा किए गए कार्य की प्रगति रिपोर्ट मस्टर रोल में दर्ज नहीं की गई तथा रिपोर्ट में केवल यही लिखा गया है कि 5 बेलदारों ने पूरे मास में भण्डार में सामान को ठीक ढंग से रखा गया जिसका इतने बेलदारो द्वारा कार्य किए जाने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता । अत: पूर्ण औचित्य दिया जाए । अन्यथा गलत भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाए ।

(2) मस्टर रोल संख्या-19

उक्त मस्टर रोल लैक्चर थियेटर हिमाचल के लिए मास 2/92 के लिए जारी किया गया जिसमें एक चौकीदार तथा बेलदारों को कार्य हेतु तैनात किया गया । प्रगति के कॉलम में यह रिपोर्ट दर्ज की गई कि एक बेलदार ने चौकीदार कम बेलदार को असिस्ट किया जो कि हास्यास्पद प्रतीत हो रहा है । अत: मु0 506 रु0 की वसूली दोषी व्यक्ति से की जाए ।

(ग) समायोजन वाउचर संख्या 21 मास 3/92 मु0 54.00 रु0

उक्त राशि द्वारा श्री राम बहादुर चालक का स्टाफ अग्रिम लेखा परीक्षण किया गया जिसमे दिनांक 24.6.91 को 2 टायरों के पंचर लगाने का मु0 10 रु0 का व्यय समायोजित किया गया । लॉग बुक क्रम 4 के पृष्ठ 5 के अनुसार दिनांक 24.6.91 को जीप एच आई एस 2744 का चालक श्री राजू

431

था न कि राम बहादुर । इस प्रकार यह समायोजन सही प्रतीत नहीं होता जिसकी वसूली शीघ्र दोषी व्यक्ति से की जाए ।

§घ§ समायोजन वाउचर संख्या: 32 मास 3/92 मु0 6129.50/-रू0

उक्त वाउचर द्वारा गाड़ी संख्या अध्आईएस 2 2744 की मास 4/91 की आउट-टर्न का समायोजन किया गया। मास 4/91 में श्री आर0सी0गुप्ता अधिशासी अभियन्ता द्वारा 67 कि0 मी0 निजि यात्रा की गई जिसकी वसूली नहीं की गई अत: मु0 435.50रू0 की वसूली सम्बन्धित अधिकारी से शीघ्र की जाए ।

इसी प्रकार मास 6/91 में 44 कि0 मी0 की निजि यात्रा की गई जिसका समायोजन वाउचर सं0 51 मास 3/92 द्वारा गाड़ी को समायोजित किया गया । जिसकी वसूली सम्बन्धित अधिकारी से की जानी थी । अत: मु0 286 रू0 की वसूली शीघ्र करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए ।

§ड.§ समायोजन वाउचर संख्या 35 मास 3/92 मु0 327.60

उक्त समायोजन में निम्न अनियमितताएँ पाई गई :-

§1§ दिनांक 17.12.90 को 30 सीमेन्ट की बोरियों को ट्रक पर चढ़ाने हेतु मु0 30 रू0 का भुगतान दर्शाया गया जबकि जी0आर0 1726 दिनांक 17.12.90 द्वारा केवल 3 बोरियाँ सीमेन्ट की प्राप्त की गई । इस प्रकार 27 रू0 का भुगतान उचित नहीं है । जिसकी वसूली दोषी व्यक्ति से की जाए ।

§2§ इण्डैट संख्या 6897 दिनांक 1.12.90 को 30 सीमेन्ट बोरियां निर्माण कार्य के लिए जारी की गई लेकिन इण्डैट समायोजित करते समय मु0 230 रू0 प्रासंगिक प्रभार के रूप में नहीं लगाए गए । इस प्रकार निर्माण कार्य को मु0 230 रू0 कम डाले गए । अत: आवश्यक कार्यवाही अब करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए ।

432

(च) वाउचर संख्या 146 मास 3/92 मु0 218.00 रु0 :

मु0 218.00 रु0 का भुगतान श्री एल0एस0चौहान तहसीलदार को 15 लीटर पेट्रोल क्रय करने हेतु किया गया जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई ।

15 लीटर पेट्रोल मै0 साहनी ऑटोमोबाईल, ख्वाडाघाट से उनके बिल संख्या 12998 दिनांक 4.3.92 द्वारा ब खरीद किया गया जिसे गाड़ी संख्या एस0आईएस 2744 में डाला दर्शाया गया । गाड़ी की लॉग बुक के अनुसार दिनांक 29.2.92 से 5.3.92 तक गाड़ी निगम बिहार में खड़ी थी । इसके इलावा यह भी पाया गया कि दिनांक 29.2.92 को जब यह गाड़ी कि निगम बिहार में खड़ी की गई तो इसकी मीटर गणना 55228 कि0मी0 थी तथा दिनांक 6.3.92 को इसी गणना से यह गाड़ी चलाई गई तथा दिनांक 6.3.92 को गाड़ी कुल177 कि0मी0 चली उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि मु0 218 रु0 का बिल सही नहीं है तथा इस प्रकार झूठे बिल का भुगतान किया गया जिसकी वसूली दोषी व्यक्ति से शीघ्र की जाए तथा प्रशासनिक कार्यवाई भी दोषी व्यक्ति के विरुद्ध की जाए ।

(छ) समायोजन वाउचर संख्या: 20 दिनांक 3/92(एस0) राशि 5,16,400.00 रु0

लेखा परीक्षण में पाया गया कि मु0 516400/-रु की राशि का फरवरी-मार्च 1992 के दौरान स्टील की आपूर्ति के रूप में निम्नलिखित बिलों द्वारा मै0 भारतीय स्टील प्राधिकरण के विविध अग्रिम खाते में समायोजन किया गया है तथा स्टाक खाते में माल खरीद दिखाई गई :-

बिल नं0 तथा तिथि	राशि(रु0)
377 दिनांक 22.2.92	116512.00
375 दिनांक 22.2.92	111498.00
376 दिनांक 22.2.92	113947.00
374 दिनांक 22.2.92	114743.00
384-1 दिनांक 7.3.92	6758.00
384-2 दिनांक 7.3.92	26471.00
	489929.00

433

परन्तु विस्तृत जांच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि भारतीय स्टील प्राधिकरण का बिल नम्बर 384-I दिनांक 7.3.92 की राशि 6758.00 रु0 के लिए था जबकि भारतीय स्टील प्राधिकरण के विविध अग्रिम खाते में राशि 33229.80 रु0 के लिए समायोजित किया गया । इस प्रकार राशि 26471.00 रु0 के लिए अधिक समायोजन किया गया जो कि गलत ही नहीं अपितु आपत्ति जनक भी है ,जिस से भारतीय स्टील प्राधिकरण को 26471.00 के विविध अग्रिम में अधिक क्रेडिट दिया जाए ।

इसी प्रकार स्टाक खाते में 26471.00 रु0 की अधिक खरीद दिखाई गई है । परिणामस्वरूप अन्तिम स्टाक की स्थिति भी गलत दर्शाई गई है । इस गलत समायोजन के फलस्वरूप जो समायोजन वाउचर संख्या 13 दिनांक 3/92(एस) द्वारा स्टाक का मुल्यांकन किया गया है भी गलत है । क्योंकि स्टाक खाते को 26471.00 रु0 से गलत डेबिट करने से स्टाक मुल्यांकन का अधिशेष जो 212899.44 दिखाया है वह गलत है जबकि यह अधिशेष 239370.44 रु0 होना चाहिए था जिससे आंवास बोर्ड को 26471.00 रु0 का सीधा घाटा हो सकता था । परन्तु इसे समायोजन वाउचर संख्या 18 अवधि 3/92(एस0-2) द्वारा अंकेक्षण के दौरान ही ठीक करवाया गया । फिर भी यह समस्त मामला अधिकारीगण के ध्यानार्थ लाया जाता है ताकि भविष्य में इस प्रकार की गम्भीर अनियमितताएँ दोहराई न जाए ।

-434-

ज) वाउचर सं0 : 80 दिनांक 11.4.91 राशि 545.00 रूपये

मु0 545/- रूपये की राशि का वाहन सं0 एच0आई0 एस0 2744 के लिए पेट्रोल की आपूर्ति के रूप में जिला कांगड़ा सहकारी विपणन एवं आपूर्ति संघ को बिल संख्या : 11204 अवधि 2/91 के अन्तर्गत भुगतान किया गया है परन्तु इस आपूर्ति से सम्बन्धित प्रविष्टि लौग बुक में नहीं दिखाई गई है । जिसका अब शीघ्र लेखांकन किया जावे तथा सम्बन्धित अभिलेख आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे ।

झ) समायोजन वाउचर सं0 1 अवधि 3/92 (एस) राशि 890 रूपये,
2 अवधि 3/92 (एस) राशि 890 रूपये
3) अवधि 3/92 (एस) राशि 1267/-रूपये (4) अवधि 3/92 (एस.) राशि 2128.00 रूपये तथा 5 अवधि 3/92 (एस.) राशि 537.00 रूपये

उपरोक्त समायोजन वाउचरों द्वारा बिजली के फुटकर सामग्री के खरीद के रूप में वर्ष 1991-92 में सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता के अग्रिम खाते में समायोजन किया गया । परन्तु इस सामान के खरीद की प्रविष्टि सम्बन्धित स्टाक रजिस्टर, एम0ए0एस तथा एम0बी0 में नहीं दिखाई गई जिसे आगामी लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत किया जाये ।

ञ) समायोजन वाउचर सं0 11 अवधि 3/92 (एस) राशि 5069.50 रू0

मु0 5069.50 रूपये की राशि का श्री विपिन कौल, सहायक अभियन्ता के अग्रिम खाते में हस्तगत पावति (Hand Receipt) के द्वारा अवधि 11/88 से 8/89 तक अग्रधन से फुटकर सामग्री के खरीद के रूप में समायोजन किया गया । यह समायोजन विलम्बित अवधि में किया गया है जिसके लिए कोई भी स्पष्टीकरण एवं सन्तोषजनक तर्क एवम् प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए । इस राशि का समायोजन एवं व्यय के लिए सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गई वित्तीय स्वीकृति भी नहीं दिखाई गई । इस राशि में खरीदे गए फुटकर सामान की प्रविष्टि भी सम्बन्धित स्टाक रजिस्टर, एम0ए0

...

एस0 तथा माप पुस्तिका में नहीं दिखाई गई । इस समायोजन का सम्पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान समय जांच हेतु प्रस्तुत किया जाये अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी से इस राशि की वसूली करके आवास को ई निधि में जमा करवाई जाये और अनुवर्तन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे ।

ट) समायोजन वाउचर सं0 18 दिनांक अवधि 3/92 (एस) राशि 8547.50 रुपये

मु0 8547.50 रुपये की राशि का वाहन सं0 एच0आर0ई0एस0-2744 की माह जनवरी 1992 की आउट-टर्न के रूप में समायोजन किया गया । उपरोक्त राशि में से मु0 754.00 रुपये का अनियमित समायोजन करके निर्माण कार्य स्थल के विकास सामाजिक आवास बस्ती सोलन (चरण-II) को डेबिट किया गया है जबकि इस राशि का समायोजन, जैसे कि शडूल डाकेट संख्या: I अवधि 3/92 एस) के मासिक लेखों की प्रविष्टियों से स्पष्ट है, का डेबिट समाजिक आवास बस्ती संजौली को होना चाहिए था इस गलत वर्गीकरण का लेखांकन करके अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा के दौरान दिखाई जाए ।

ठ) समायोजन वाउचर सं0 21 अवधि 3/92 (एस0) राशि 45464.53 रुपये :-

मु0 45464.53 रुपये की राशि का विभागीय प्रभार के रूप में विविध आय में क्रेडिट तथा विभिन्न निर्माण कार्यों को डेबिट दिखा कर के समायोजन किया गया है । विस्तृत जांच पड़ताल करने पर पाया कि इस मासिक लेखों के दौरान निर्माण कार्यों के कुल भुगतान के अनुसार विभागीय प्रभार के रूप में विविध आय में राशि 54855.99 रुपये का क्रेडिट होना चाहिए था । जैसे कि निर्माण कार्यों को इतनी ही राशि का डेबिट दिया गया है परन्तु राशि 9391.46 रुपये को कुल

....

विभागीय प्रभार से घटाकर राशि 4546.53 रुपये का ही विविध आय को क्रेडिट दिया गया जो कि गलत एवं अनियमित है । इस अनियमितता की कार्य प्रणाली (Modus Operandi) इस प्रकार है कि स्वतः वित्तीय योजना के अधीन बनाई गई स्ट्रौबैरी हिल बस्ती में राशि 55243.92 रुपये की देवदार इमारती लकडी निकाली गई उसका कालौनी को क्रेडिट दिया गया । इसी राशि पर विभागीय प्रभार के रूप में भी राशि 9391.46 रुपये का क्रेडिट कालौनी को दिया गया जो कि गलत है क्योंकि इमारती लकडी का पहले कभी भी कालौनी को डेबिट नहीं दिया गया इस केडिट से इस आवास बस्ती की लागत में वास्तविक व्यय में राशि 55243.92 रुपये को भी घटाया जाना था परन्तु राशि 9391.46 रुपये को लागत में से घटाना गलत है । इस गलती से बस्ती के लेखों में दोहरी गलती एवं अनियमितता हुई है जैसे कि एक तरफ तो लागत कम की गई जिससे बस्ती का मूल्य निर्धारण गलत किया गया दूसरी तरफ विविध आय में 9391.46 रुपये का प्रत्यक्ष रूप से घाटा हुआ है । इससे आवास बोर्ड के वर्ष 1991-92 के लेखों में मु0 9391.46 रुपये व /अधिक गलत घाटा दिखाया गया है । जबकि राशि 9391.46 रुपये की लाभ हानि लेखो में आय प्रदर्शित होनी चाहिये थी यह बहुत ही गम्भीर अनियमितता है जिसका अविलम्ब लेखांकन किया जाये अन्यथा इस घाटे के लिए सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी की जिम्मेवारी सुनिश्चित की जाये ।

13. **लघु आपत्ति विवरणिका :-**

लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है परन्तु लघु आपत्तियों का लेखा परीक्षा के दौरान ही निपटारा कर दिया गया है ।

.....

...

14 निष्कर्ष :-

मण्डल लेखों में पर्याप्त सुधार तथा आन्तरिक नियन्त्रण की अधिक आवश्यकता है ।

हस्ता/-
सहायक नियन्त्रक (लि०प०)
हि०प्र० आवास बोर्ड,
निगम विहार, शिमला-171002.

पृष्ठांकन संख्या : फिन (एल०ए०)(एच)(2)15(14-123/88, दिनांक, शिमला 12 DEC 1994
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. कार्यपालक अभियन्ता, हि०प्र० आवास बोर्ड, शिमला मण्डल, शिमला-6 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का संक्षिप्त उत्तर विभाग को अतिशीघ्र भेजें ।
2. आयुक्त एवम् सचिव (आवास) हि०प्र० सरकार, शिमला-2.
3. सचिव, एवम्-मुख्य अभियन्ता, हि०प्र० आवास बोर्ड, निगम विहार, शिमला-171002.
4. श्री श्याम लाल कपूर, सहायक नियन्त्रक, द्वारा ------------
5. श्री तेनराम रंजन, अनुभाग अधिकारी, द्वारा------------

कार्यालय प्रति

सहायक नियन्त्रक (लि०प०)
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.

.....